



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

हमीरपुर

जराखर ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार





कलाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



जटाखर ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन
गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री घनश्याम मीना, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), हमीरपुर
श्री चन्द्र शेखर शुक्ला, पीडीएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), हमीरपुर

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री नेहल गौतम, श्री मोहित जेन, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीती सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

जराखर ग्राम पंचायत

श्री कमलेश जराखर, ग्राम प्रधान

क्षेत्रीय शोध समर्थन

ग्रामोन्नति संस्थान, महोबा

डॉ. अरविन्द खरे, श्री रूद्र प्रताप मिश्र, श्री जगनाथ प्रसाद यादव, श्री शोभित खुमार, श्री धर्मेन्द्र कुशवाह

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री नरेश मेहरा, श्री रोहिण कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



घनश्याम मीना
(आई.ए.एस.)
जिलाधिकारी, हमीरपुर
उत्तर प्रदेश



—:संदेश:—

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत-जराखर विकास खण्ड गोहाण्ड जनपद हमीरपुर की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु के परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिए जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के कारण जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थ व्यवस्था आपस में जुड़े हैं और हमारे लिए ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हो।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा जो पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय

(घनश्याम मीना)

चन्द्र शेखर शुक्ला
पी0डी0एस0



मुख्य विकास अधिकारी
जनपद हमीरपुर,
उत्तर प्रदेश
पत्रांक- 1306
दिनांक- 23/10/24

:: संदेश ::

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ावा दे।


यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करेगी। इसके साथ ही हम सब मिलकर जलवायु नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं तथा स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत- जराखर विकास खण्ड गोहाण्ड जनपद हमीरपुर की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश के तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

एक बार पुनः क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ तथा योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करता हूँ।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय


(चन्द्र शेखर शुक्ला)

कमलेश जराखर

“ग्राम प्रधान” जराखर

मोबा : 94155 32447

✉ grampanchayatjarakhar@gmail.com

निवासी : ग्राम जराखर

विकास खण्ड : गोहाण्ड

जिला : हमीरपुर

पत्रांक : 501/कार्यलय ग्राम पंचायत जराखर

दिनांक : 24/09/2024.....

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत - जराखर

वि०ख०-गोहाण्ड, जिला-हमीरपुर

अभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत जराखर वि० ख० गोहाण्ड जिला हमीरपुर की ओर से सादर नमस्कार और अभिनन्दन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाए गये कदम प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए उनपर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है इस बिषय की गंभीरता को समझते हुए सभ ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ-साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आँकड़ों को एकत्रित किया गया आँकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियाविंत करने के लिए मैं स्थानीय गोरखपुर एनवेरमेंट एक्शन ग्रुप (जी०ई०ए०जी०) गोरखपुर का आँकड़े एकत्रित करने में हमारे ग्रामवासियों के समर्थन व सक्रिय भागीदारी के लिए हृदय से धन्यवाद हम सभी साथ मिलकर हमारी ग्राम पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाएंगे। जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समस्त गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ०प्र० और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउण्डेशन, नई दिल्ली का भी आभारी हूँ। जिन्होंने एकत्र किये गये आँकड़ों को कार्य योजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों से अपनी ग्राम पंचायत को क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद

ग्राम पंचायत - जराखर

वि०ख०-गोहाण्ड, जिला-हमीरपुर

विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	1. जराखर ग्राम पंचायत एक नज़र में	4
	2. जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	3. प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	4. कार्यरत महिलाएं	7
	5. कृषि	8
	6. प्राकृतिक संसाधन	8
	7. जराखर में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित मुद्दाव	12
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	13
	2. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	17
	3. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता	20
	4. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	25
	5. सतत कृषि	35
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	40
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	44
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	48
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	54
8	आगे की राह	60
9	अनुलग्नक	61

चित्र

चित्र 1:	जराखर ग्राम पंचायत, हमीरपुर ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2:	जराखर में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2019	6
चित्र 3:	जराखर में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2020	6
चित्र 4:	जराखर में घरेलू स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत	7
चित्र 5:	जराखर में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान	7
चित्र 6:	जराखर में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7:	जराखर में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8:	जराखर में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	8
चित्र 9:	जराखर में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण	8
चित्र 10:	2022 में जराखर में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 11:	2022 में जराखर के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10



कार्यकारी सारांश

हमीरपुर जिले की जराखर ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। जराखर की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु कार्यवाही को मजबूत करने और 2035 तक इसे क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। कार्य योजना द्वारा लचीलापन बनाने, अनुकूलन क्षमता बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता के लिए ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करने के साथ-साथ अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ भी प्राप्त होंगे।

यह कार्ययोजना उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजनाओं के विकास के लिए तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर तैयार की गई है। जराखर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे जराखर ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सके।

कार्ययोजना में बुंदेलखंड कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति को शामिल किया गया है। कार्ययोजना में जराखर ग्राम पंचायत के सामुदायिक सदस्यों से प्राप्त जानकारी भी शामिल है, जो क्षेत्र सर्वेक्षण, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए हैं। इससे आधार रेखा बनाने और जराखर के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव और 998 घर हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 7,958 है। मुख्य आर्थिक गतिविधियों में मजदूरी (गैर-कृषि) और कृषि शामिल हैं। आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि जराखर ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~4,664 tCO₂e³ है।

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण टूल तैयार करना

सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़े को एकत्र करना: पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़े एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और योजना तैयार करना:

ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और जराखर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित है।

प्रमुख मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।

कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान: जराखर में प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया।

प्रस्तावित अनुशंसाएं: पहचाने गए/चिन्हित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर जराखर के लिए गतिविधियाँ/संस्तुतियाँ तैयार की गईं। इन गतिविधियों/संस्तुतियों में बुंदेलखंड की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, जराखर की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्य योजना को तैयार करने के दौरान एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

*गतिविधियों में सम्मिलित हैं- बिजली का उपभोग, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसलों के अवशेष को जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, चावल की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और खतरा जोखिम भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (एचआरवीसीए) के पहलू शामिल हैं

2 जनगणना 2011 आंकड़े: कुल जनसंख्या- 4,868

3 इसमें जीपी के भीतर बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन का दायरा 2 शामिल है (यूपीपीसीएल से प्राप्त डेटा और सीईए से ग्रिड उत्सर्जन कारक)

जराखर ग्राम पंचायत में तत्काल कार्यवाही के लिए पहचाने गए कुछ प्राथमिक क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- प्रकृति-आधारित समाधानों और सहभागी संसाधन प्रबंधन के माध्यम से हरित आवरण में सुधार, वर्तमान जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और भूजल स्तर को बढ़ाने जैसे उपायों को लागू करना
- कम्पोस्ट गड्डों और स्रोत पर बेहतर अपशिष्ट पृथक्करण जैसी सहभागितापूर्ण प्रथाओं के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के सतत प्रबंधन को बढ़ाना
- फसल उत्पादकता, मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने तथा जलवायु अनुकूल फसलों, जैविक उर्वरकों और कृषि वानिकी पद्धतियों को अपनाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा कुशल समाधानों का उपयोग करना, जैसे सौर ऊर्जा चालित पंप, ऊर्जा कुशल पंप और सोलर रूफटॉप की स्थापना

उपेक्षित/संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियां/संस्तुतियाँ प्रस्तावित की गई हैं। इन संस्तुतियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ गतिशीलता और बेहतर आजीविका और हरित उद्यमिता जैसे विषयगत क्षेत्र शामिल हैं।

इन गतिविधियों/संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-2027), चरण II (2027-2030) और चरण III (2030-2035)। चरणबद्ध लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते चरण-वार लक्ष्यों, संभावित लागतों, सहायक केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ इंगित किए गए हैं।

जराखर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार तैयार की गई है कि इसे जराखर ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सके।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा जराखर जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगा:

- जलवायु परिपेक्ष के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक बनाना
- जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों को जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जोड़ना

इस कार्ययोजना के अंतर्गत हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को जराखर की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की नियोजित गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।


इस योजना के माध्यम से कम होने वाले कुल उत्सर्जन का अनुमान प्रति वर्ष 4,211 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO₂e) है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 2,47,120 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग 46.1 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग शामिल है। इसमें से, आवश्यक फंडिंग का 30-35 प्रतिशत (लगभग 15 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशनो/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी फंडों से सुरक्षित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना

















क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



जराखर

जराखर ग्राम पंचायत एक नज़र में⁴

	स्थान	गोहांड ब्लॉक, हमीरपुर जिला
	कुल क्षेत्रफल⁵	1,733 हेक्टेयर
	संयोजन	1 राजस्व गांव
	कुल जनसंख्या⁶	7,958
	पुरुषों की संख्या	5,123
	महिलाओं की संख्या	2,835
	कुल परिवार⁷	998
	पंचायत अवसंरचनाएं	9 (पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, स्वास्थ्य उप-केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 आंगनवाड़ी केंद्र)
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	कृषि

	भूमि-उपयोग	कृषि भूमि: ~1,343 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि: 68 हेक्टेयर शेष भूमि: ~322 हेक्टेयर
	जल संसाधन	7 तालाब 4 कुएँ
	कृषि जलवायु क्षेत्र⁸	<ul style="list-style-type: none"> बुंदेलखंड जलवायु परिस्थितियाँ: कम वर्षा और उच्च तापमान के साथ अर्ध-शुष्क मिट्टी का प्रकार: राकर, परवा, काबर और मार अधिकतम तापमान: 47.8 °C न्यूनतम तापमान: 3 °C वार्षिक वर्षा: 867 मिमी
	जिले की समग्र भेद्यता⁹	कम
	जिले की क्षेत्रीय भेद्यता	<ul style="list-style-type: none"> कृषि भेद्यता: अधिक ऊर्जा भेद्यता: अधिक आपदा प्रबंधन भेद्यता: मध्यम वन भेद्यता: कम ग्रामीण विकास भेद्यता: कम स्वास्थ्य भेद्यता: कम जल भेद्यता: बहुत कम

4 क्षेत्रीय सर्वेक्षण, समूह केंद्रित चर्चा, एवं ग्राम पंचायत हितधारकों से चर्चाओं के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

5 भुवन डेटा के अनुसार कुल क्षेत्रफल ~1,733 हेक्टेयर है

6 जनगणना 2011 आंकड़े: कुल जनसंख्या- 4,868; पुरुष- 2,614; महिला- 2,254

7 919 पक्के मकान और 79 कच्चे मकान (मिट्टी, फूस, टिन)

8 कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

9 उत्तर प्रदेश एसएपीसीसी 2.0



चित्र 1: जराखर ग्राम पंचायत, हमीरपुर ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता डेटा (तापमान और वर्षा)¹⁰ - से पता चलता है कि क्षेत्र में (हमीरपुर जिला) वार्षिक औसत अधिकतम तापमान वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 2019 में 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था एवं वर्ष 2019 में वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान 1990 के स्तर से 1.7 डिग्री सेल्सियस¹¹ अधिक था (चित्र 2 देखें)। समान समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा में¹² कमी दिखती है (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ें पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020¹³ के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गरम दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी)¹⁴ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)¹⁵ के द्वारा भी की गयी है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन के विषय में समुदाय के विचारों के बारे में पता चलता है, उनके द्वारा बताया गया कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 90 दिनों की वृद्धि देखी गयी है। सर्दियों के दिनों की संख्या में लगभग 25 दिनों की कमी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 25 दिनों की कमी आई है।¹⁶

ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।

10 दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) डेटा और दैनिक वर्षा डेटा बांदा स्टेशन से जराखर जीपी (हमीरपुर जिला) के लिए लिया गया है जो निकटतम आईएमडी स्टेशन है

11 2009, 2013, 2014, 2015 और 2017 का तापमान डेटा उपलब्ध नहीं है


12 1998 और 2009 के दैनिक वर्षा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

13 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023(ipcc.ch) <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>


14 2023 में एशिया में जलवायु की स्थिति <https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023>

15 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की एक रिपोर्ट। <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>, स्रोत: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

16 योजना की तैयारी के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े



चित्र 2: जराखर में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2019




चित्र 3: जराखर में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2020


प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

जराखर ग्राम पंचायत में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, जिसमें लगभग 60 प्रतिशत परिवार संलग्न हैं। इसके बाद पशुपालन, गैर-कृषि मजदूरी, एवं स्थानीय दुकानों के संचालन का स्थान आता है (चित्र 4 देखें)। समूह केन्द्रित चर्चाओं से प्राप्त घरेलू स्तर की आय के अनुमान से पता चलता है कि अधिकांश परिवार प्रति वर्ष ₹50,000 से ₹1,00,000 (~ 30 प्रतिशत) कमाते हैं, जबकि कुल परिवारों में से लगभग ~5 प्रतिशत ही ₹ 5 लाख से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)। सर्वेक्षण के समय, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) 68 परिवार थे, अर्थात् ग्राम पंचायत में कुल परिवारों का लगभग 7 प्रतिशत। राशन कार्ड के आंकड़ों के अनुसार¹⁷ (चित्र 6 देखें), लगभग 94 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। इसमें से 68 परिवारों के पास अन्त्योदय कार्ड हैं।


17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (https://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA)



चित्र 4: जराखर में घरेलू स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत




चित्र 5: जराखर में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान



चित्र 6: जराखर में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

ग्राम पंचायत में 68 परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं¹⁸ और लगभग 604 महिलाएँ आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं। अधिकांश महिलाएँ मुख्य रूप से गैर-कृषि संबंधी गतिविधियों में करती हैं। उसके अतिरिक्त महिलाएं पशुपालन संबंधी का कार्य करती हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार, जराखर में 12 स्वयं सहायता समूह (SHG) हैं व इनके द्वारा की जाने वाली प्राथमिक गतिविधियों में सिलाई, बकरी पालन और स्थानीय दुकानें चलाना शामिल हैं।




चित्र 7: जराखर में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित महिलाओं की संख्या


18 महिला-प्रधान परिवार वे परिवार होते हैं जहां महिलाएं एकमात्र/प्राथमिक कमाने वाली होती हैं।

कृषि

ग्राम पंचायत का कुल कृषि क्षेत्रफल 1,343 हेक्टेयर है एवं कुल सकल फसल क्षेत्र लगभग 2,190 हेक्टेयर है। खरीफ और रबी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं (लगभग 630 हेक्टेयर), मसूर (लगभग 140 हेक्टेयर), ज्वार (लगभग 100 हेक्टेयर), और हरा चना (लगभग 100 हेक्टेयर) हैं। सर्वेक्षण के समय, कुल पशुधन आबादी ~2,062 (396 गाय, 723 भैंस, 543 बकरियाँ, 100 सुअर, 300 भेड़) थी। कुल मुर्गीपालन आबादी ~500 थी। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 3 परिवार मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत में एक नवगठित किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) है, जिसमें 60 सदस्य हैं।



चित्र 8: जराखर में केवल कृषि पर निर्भर परिवार



चित्र 9: जराखर में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

प्राकृतिक संसाधन

क्षेत्र सर्वेक्षण से मिली जानकारी के अनुसार, जराखर में 7 तालाब हैं, जिनमें एक अमृत सरोवर भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 4 कुएं भी हैं। 2018 से 2023 के बीच ग्राम पंचायत में समुदाय के नेतृत्व में वृक्षारोपण गतिविधियाँ की गईं और सामान्य वृक्ष प्रजातियों के 3,500 से अधिक पौधे लगाए गए। इन वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए 85% की उत्तरजीविता दर दर्ज की गई। इन वृक्षारोपणों में सागौन, शीशम, कदम, पीपल, बरगद आदि के पेड़ ज्यादातर रोपित किए जाते हैं, जिनकी औसत जीवित रहने की दर 85 प्रतिशत है।¹⁹

19 क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार

जराखर में सुविधाएं

बिजली और घरेलू गैस (एलपीजी)

- बिजली की पहुंच: ~75% घरों तक
- एलपीजी कवरेज: ~73% परिवार



जल

- घरेलू उपयोग और जीपी स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत – भूजल
- ~44% घरों में पाइप से जलापूर्ति²⁰

अपशिष्ट

- खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) का दर्जा हासिल
- घरेलू शौचालय कवरेज: ~78%



गतिशीलता और बाजार पहुंच²¹

- राज्य राजमार्ग 21 – 12 किमी
- 2 राशन की दुकानें - ग्राम पंचायत के भीतर
- डाकघर – ग्राम पंचायत के भीतर
- कृषि बाजार - 12 किमी

शिक्षण संस्थान

- 2 सरकारी प्राथमिक विद्यालय
- 1 जूनियर हाई स्कूल

स्वास्थ्य संस्थाएँ

- 1 स्वास्थ्य उप केंद्र
- 4 आंगनवाड़ी केंद्र


²⁰ जल जीवन मिशन डैशबोर्ड ग्राम पंचायत में पाइप जलापूर्ति की 100% कवरेज को इंगित करता है https://ejalshakti.gov.in/jjm/citizen_corner/villageinformation.aspx। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, जराखर ग्राम पंचायत में पाइप जलापूर्ति कवरेज का विस्तार चल रहा है।

²¹ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है

हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधार रेखा विकसित करने के लिए किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस योजना का उद्देश्य कार्बन-तटस्थ जीपी विकसित करना नहीं है, बल्कि जलवायु स्मार्ट जीपी विकसित करना है। हालाँकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ होंगे जो शायद ग्राम पंचायत को कार्बन तटस्थ या कार्बन नकारात्मक बनाने में मदद करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में इसलिए जीएचजी प्रक्षेपण शामिल नहीं हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु सुझाव प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, जराखर ग्राम पंचायत ने कई तरह की गतिविधियों से ~4,664 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO₂e) उत्सर्जित हुआ है (चित्र 10 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों ने जराखर के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया। ऊर्जा क्षेत्र में उत्सर्जन बिजली की खपत²², खाना पकाने के लिए लकड़ी और एलपीजी के दहन, सिंचाई के लिए डीजल पंपों के उपयोग, बिजली बैकअप के लिए जनरेटर के उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र उत्सर्जन में कृषि क्षेत्रों में उर्वरक के उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन, फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया जाता है।



चित्र 10: 2022 में जराखर में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

ऊर्जा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन कुल उत्सर्जन का ~49 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में परिवहन श्रेणी मुख्य उत्सर्जक (~1,294.47 tCO₂e) है, उसके बाद बिजली की खपत (~573.57 tCO₂e), आवासीय खाना पकाना (~372.1 tCO₂e) और डीजल पंप का उपयोग (~37.78 tCO₂e) है। कृषि क्षेत्र में कुल उत्सर्जन का ~44 प्रतिशत हिस्सा है। इस क्षेत्र के भीतर, उर्वरक उत्सर्जन (~1,145.55 tCO₂e), पशुधन से उत्सर्जन (~787.66 tCO₂e), फसल अवशेष जलाना (~101.18 tCO₂e), और धान की खेती (20.41 tCO₂e) जीएचजी उत्सर्जन के प्रमुख कारण हैं। अपशिष्ट क्षेत्र कुल उत्सर्जन का ~7 प्रतिशत है, जिसमें घरेलू अपशिष्ट जल (~331.21 tCO₂e) से उत्सर्जन शामिल है (चित्र 11 देखें)।



चित्र 11: 2022 में जराखर के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

22 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन जीपी सीमा के बाहर होता है

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है।

जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दों को संस्तुतियों वाले अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध किया गया है।

व्यापक मुद्दे:

- मौसमी अवधि में परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण बुवाई का समय, कटाई का समय प्रभावित होता है और फसलों की सिंचाई की आवश्यकता बढ़ जाती है
- जून और जुलाई के महीनों के बीच सूखे जैसी स्थिति का बार-बार होना
- अप्रैल से जून के महीनों में गर्म हवाओं के प्रकोप में वृद्धि
- अपर्याप्त एवं आकस्मिक वर्षा के कारण खरीफ मौसम के दौरान कृषि भूमि पर फसल की पैदावार में कमी
- असंवहनीय कृषि और पशुपालन प्रथाएँ
- ठोस अपशिष्ट का सीमित प्रबंधन
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता का अभाव
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता की कमी

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई सुझावों/संस्तुतियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। हस्तक्षेपों का वर्णन **चरणबद्ध लक्ष्यों** और **लागत अनुमानों**²³ (जहाँ तक संभव हो) के साथ किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण-I (2024-25 से 2026-27); चरण-II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए आगे वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को "क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) "दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है"। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।


ग्राम पंचायत के लिए पहचाने गए वित्तपोषण के साधनों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधियों या सीएसआर हस्तक्षेपों के माध्यम से निजी वित्त सम्मिलित हैं। विस्तृत गतिविधियां/संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

कार्ययोजना में प्रस्तावित संस्तुतियाँ निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
3. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता
4. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
5. सतत कृषि
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, सुझावों/संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित प्रयासों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन प्रयासों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए इन प्रयासों/नवाचारों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इसलिए, उन्हें मुख्य गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

23 लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त जानकारी, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत का अनुमान, अथवा आवश्यक इनपुट की प्रति इकाई अनुमानित लागत अथवा विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियाँ।



1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

संदर्भ और मुद्दे²⁴

- जराखर ग्राम पंचायतवासी घरेलू उपयोग के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर हैं, तथा वर्षा जल, ट्यूबवेल, कुएँ और नदी ग्राम पंचायत में सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं।
- 2019 से 2022 तक पिछले चार वर्षों में अप्रैल से जुलाई और सितंबर से अक्टूबर के महीने में सूखे की घटनाएँ लगातार घटित हुई हैं।
- जराखर में 7 तालाब हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है और वे गाद, मलबे और कचरे से भरे हुए हैं। इसलिए, उन्हें साफ करने और पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 3 कुएँ भी कचरे से भरे हुए हैं और उपयोग के लिए अनुपयुक्त हैं।
- ग्राम पंचायत में उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट जल अनुपचारित रूप में खुली नालियों के माध्यम से तालाबों में चला जाता है, जिससे जल निकाय और अधिक प्रदूषित हो जाते हैं।

पिछले चार वर्षों में भूजल पर निर्भरता और बार-बार सूखे की घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों की पूर्ति के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है। जराखर में भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं।



जल निकायों का पुनरुद्धार एवं संरक्षण

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> तालाबों की सफाई, गहरा करना और मिट्टी की परत चढ़ाना हैंडपंपों की रीबोरिंग प्रतिधारण तालाबों का निर्माण जल निकायों के चारों ओर ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण करना 	<ol style="list-style-type: none"> जल निकायों का नियमित रखरखाव जल निकायों के आसपास अतिरिक्त पेड़ लगाए जाना समुदाय और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> जल निकायों का नियमित रखरखाव उपलब्ध जल का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना का अद्यतनीकरण

24 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक संसाधनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

**सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट
संबंधी गतिविधियाँ**

- | | |
|---|---|
| <p>5. मौजूदा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का क्षमता निर्माण²⁵</p> <ul style="list-style-type: none"> » भूजल प्रबंधन के मुद्दों पर समुदाय को संगठित करना » जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न प्रमुख हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना » विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध जल का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करना/ अद्यतन करना » बंजर और अनुपजाऊ भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए जल संचयन तकनीकों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना | <p>4. उपलब्ध जल का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना को अद्यतन करना</p> |
|---|---|

लक्ष्य

- | | | |
|--|--|----------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 3 तालाबों की सफाई, गहरीकरण और मिट्टी की परत चढ़ाना 2. 20 हैंडपंपों की रीबोरिंग²⁶ 3. 4 प्रतिधारण तालाबों का निर्माण 4. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,000 वृक्षों का रोपण | <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 तालाबों का रखरखाव 2. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,000 अतिरिक्त पेड़ लगाना | <p>4 तालाबों का रखरखाव</p> |
|--|--|----------------------------|

अनुमानित लागत

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. तालाबों की सफाई: ₹45,000 2. 20 हैंडपंपों की रीबोरिंग: ₹25,00,000 3. प्रतिधारण तालाबों का निर्माण: ₹10,00,000 4. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में शामिल: ₹12,70,000 <p>कुल लागत: ₹25,00,000</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. तालाबों का रखरखाव: ₹15,00,000 2. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: 'हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना' अनुभाग में शामिल: ₹12,70,000 <p>कुल लागत: ₹15,00,000</p> | <p>तालाबों का रखरखाव: ₹15,00,000</p> |
|---|---|--------------------------------------|

25 VWSC हैंडबुक, <https://phed.cg.gov.in/sites/default/files/gphandbook-0.pdf>

26 विशिष्ट स्थान विवरण के लिए HRVCA देखें



वर्षा जल के संचयन (आरडब्ल्यूएच)

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सरकारी/पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना भूजल पुनर्भरण के लिए पुनर्भरण (रीचार्ज) गड्ढे खोदना सभी नई इमारतों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1,000 वर्ग फुट से अधिक भूखंड वाले आवासीय भवनों (50%) में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना। चिन्हित जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक पुनर्भरण गड्ढे/खाइयां खोदना सभी नई इमारतों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1,000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों (100%) में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना सभी नई इमारतों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 9 सरकारी भवनों में आरडब्ल्यूएच- 10 m³ भंडारण क्षमता के रिचार्ज पिट की स्थापना 4 रिचार्ज गड्ढे खोदना²⁷ 	<ol style="list-style-type: none"> 230 पक्के घरों में 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता वाली आरडब्ल्यूएच संरचनाएं स्थापित की जाएंगी। ग्राम पंचायत में बड़े घरों को पहले लक्षित किया जाएगा। आवश्यकतानुसार अधिक पुनर्भरण गड्ढे खोदना 	230 पक्के घरों में 10 m ³ की औसत भंडारण क्षमता वाले आरडब्ल्यूएच ढांचे स्थापित
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> आरडब्ल्यूएच: ₹ 7,00,000 रिचार्ज पिट: 4 यूनिट के लिए ₹1,40,000 कुल लागत: ₹8,40,000	<ol style="list-style-type: none"> आरडब्ल्यूएच: ₹80,50,000 पुनर्भरण गड्ढे: आवश्यकतानुसार कुल लागत: ₹80,50,000	आरडब्ल्यूएच: ₹80,50,000 कुल लागत: ₹80,50,000

²⁷ विशिष्ट स्थान विवरण के लिए HRVCA देखें

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर पर जल निकाय संरक्षण और पुनरुद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- मनरेगा के अंतर्गत वार्षिक बजट और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत वाटरशेड विकास घटकों का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- भारत सरकार की²⁸ अटल भूजल योजना (एबीवाई) के तहत भूजल प्रबंधन पहल को लागू किया जा सकता है।


वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट/सीएसआर को जल निकायों और कुओं के रखरखाव और देखभाल में योगदान देने के लिए 'एक जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

28 अटल भूजल योजना <https://ataljan.mowr.gov.in/Home/Index>



2. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

संदर्भ और मुद्दे²⁹

- ग्राम पंचायत में 4 पार्क हैं, जिनमें से एक अमृत सरोवर के पास स्थित है।
- पिछले पांच वर्षों में सामुदायिक पौधरोपण के अंतर्गत तालाबों के किनारे और पंचायत भवन के पास 3,500 पौधे लगाए गए, जिनकी जीवित रहने की दर 85 प्रतिशत है।³⁰

जराखर ग्राम पंचायत में हरित स्थान बढ़ाने की क्षमता है, जिससे न केवल तापमान में सुधार होगा और छाया मिलेगी बल्कि भविष्य में मृदा स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार होगा, साथ ही ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक में भी वृद्धि होगी।

हरित क्षेत्र में सुधार

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ <ol style="list-style-type: none"> विभिन्न पहलों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ³¹: <ul style="list-style-type: none"> छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम (5 छात्रों का चयन)³² फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण आरोग्य वन तैयार करना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों का रोपण³³ 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा वृक्षारोपण का रखरखाव अतिरिक्त पौधों का रोपण कर बाल वन का सृजन किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना आरोग्य वन की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखना और उनका रखरखाव किया जाना कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त अतिरिक्त भूमि पर कृषि वानिकी को अपनाया जाना आरोग्य वन में प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाईयों की स्थापना (जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में बताया गया है)

29 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

30 आगे की चर्चा के दौरान ग्राम प्रधान से मिली जानकारी के अनुसार

31 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

32 स्कूली छात्रों को पेड़ लगाने के काम में लगाया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएंगे जो अपने साथियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत समुदाय को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

33 उपयुक्त प्रजातियाँ अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध हैं

लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> सामान्य एवं लुप्तप्राय वृक्षों के 2,000 पौधे लगाए जाना तथा कम से कम 65% जीवित रहने की दर सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड का उपयोग करके) 15-20 वर्षों में 11,200 tCO₂e से 20,000 tCO₂e तक पृथक्करण क्षमता लगभग 0.2 हेक्टेयर भूमि आरोग्य वन स्थापित करने के लिए आवंटित/चिह्नित 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों, यमुना नदी के किनारे तथा जल निकायों के आसपास 3,000 से 4,000 अतिरिक्त पौधे रोपे गए (ट्री गार्ड का उपयोग करके) पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में ~16,800 tCO₂e से ~40,000 tCO₂e लगभग 112 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को अपनाया जाना (कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त 40 प्रतिशत भूमि को कवर किया गया)³⁴, 11,200 पेड़ लगाए गए सागौन वृक्षारोपण की पृथक्करण क्षमता = 20 वर्षों में 62,720 tCO₂e से 1,12,000 tCO₂e 	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 3,000 से 4,000 पौधे रोपे जाना (ट्री गार्ड का उपयोग करके) 15-20 वर्षों में 16,800 tCO₂e से 40,000 tCO₂e तक पृथक्करण क्षमता इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी को अपनाया जाना। लगभग 112 हेक्टेयर भूमि (उपयुक्त भूमि का 100% कवर किया गया) और लगाए गए 11,200 पेड़ों की पृथक्करण क्षमता = 20 वर्षों में 62,720 tCO₂e से 1,12,000 tCO₂e
	<p>समुदाय आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹25,40,000</p> <p>कुल लागत: ₹25.4 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹38,10,000 से ₹50,80,000 कृषि वानिकी गतिविधियाँ: ₹44,80,000 वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1,80,000 <p>कुल लागत: ₹84.3 लाख से ₹96.7 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹38,10,000 से ₹50,80,000 कृषि वानिकी गतिविधियाँ: ₹44,80,000 वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1,80,000 <p>कुल लागत: ₹84.3 लाख से ₹96.7 लाख</p>
अनुमानित लागत			

जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतनीकरण जारी रखना जागरूकता को मजबूत करना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करने का कार्य जारी रखना जागरूकता को मजबूत करना
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ			

34 कृषि वानिकी के लिए कृषि भूमि पर विचार किया गया है, जहां मूंग, तिल, पीली मसूर, मटर और लाल मसूर जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जो लगभग 224 हेक्टेयर है।

लक्ष्य	1. जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन और क्षमता वृद्धि	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना
	2. जन जैव विविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन		
अनुमानित लागत	बीएमसी का गठन और प्रशिक्षण लागत ³⁵ : ₹25,000		

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'भारत में वनों के बाहर वृक्ष' पहल, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उ.प्र. राज्य वृक्षारोपण लक्ष्य के तहत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को संरक्षित और संचालित किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजट निर्धारण हेतु निर्देश दिया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, तथा मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियां
- वृक्षारोपण गतिविधियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीएस) के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को भी श्रमदान में शामिल किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी उप-मिशन का लाभ निम्नलिखित के लिए उठाया जा सकता है:
 - » कृषि वानिकी रोपण से प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं
 - » वृक्षारोपण के लिए सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वार्षिक अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- बीएमसी के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग और स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान के आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वृक्ष रक्षकों की स्थापना के लिए सीएसआर निधि का लाभ उठाया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग

35 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>



3. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता

संदर्भ और मुद्दे

- उत्पन्न कुल कचरा³⁶ लगभग 636 किलोग्राम प्रतिदिन है। इसमें से ~370 किलोग्राम बायोडिग्रेडेबल/ऑर्गेनिक कचरा है और ~267 किलोग्राम गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा है।
- क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का अभाव है।³⁷
- कृषि और पशु अपशिष्ट की बड़ी मात्रा भी जराखर में अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाती है। क्षेत्र सर्वेक्षण के समय, ग्राम पंचायत में कुल पशुधन की संख्या 2,062 (गाय, भैंस, बकरी, सूअर और भेड़ सहित) है और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 15 टन प्रतिदिन है जिसे जराखर में खाद, केंचुआ खाद, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से काफी हद तक प्रबंधित किया जा सकता है।³⁸
- ग्राम पंचायत में घरेलू शौचालय कवरेज लगभग 78% है।

इस पृष्ठभूमि में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

36 आकलन पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

37 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान रिपोर्ट की गई

38 अनुमानित है कि गायें प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर तथा बकरियां प्रतिदिन 150 ग्राम गोबर देती हैं।



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> घरेलू स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण के बारे में सामुदायिक जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाना घरों से पृथक्करण केंद्र (आरआरसी) तक कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन रणनीतिक/चयनित स्थानों (बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कूड़ेदानों की स्थापना। पंचायत, स्वयं सहायता समूहों, अनौपचारिक कूड़ा बीनने वालों, स्थानीय कबाड़ विक्रेताओं, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> आरआरसी का रखरखाव आवश्यकतानुसार, मौजूदा स्थापित कचरा डिब्बों का रखरखाव तथा नए रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना। ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी का विस्तार करना 	<ol style="list-style-type: none"> आरआरसी का रखरखाव मौजूदा स्थापित कूड़ेदानों का रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी का विस्तार करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 2 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) 998 घर (100%) ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कवर करना पंचायती राज संस्थाओं के भवनों, सार्वजनिक स्थानों, बाजार आदि जैसे रणनीतिक स्थानों पर 60 कूड़ेदानों की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 2 ईवी: ₹2,10,000 60 कूड़ेदान: ₹4,00,000 <p>कुल लागत: ₹6,10,000 लाख</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> वर्मीकम्पोस्ट गड्ढे और नाडेप गड्ढे स्थापित करना पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> जैवनिम्नीकरणीय/जैविक अपशिष्ट के उपचार के लिए अतिरिक्त खाद गड्ढों की स्थापना वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी का विस्तार करना 	<ol style="list-style-type: none"> जैवनिम्नीकरणीय/जैविक अपशिष्ट के उपचार के लिए अतिरिक्त खाद गड्ढों की स्थापना वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी का विस्तार करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 20 वर्मीकंपोस्टिंग गड्ढे और 20 नाडेप गड्ढे स्थापित करना पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल (जिसे 'आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देना' अनुभाग में विस्तार से समझाया गया है): <ul style="list-style-type: none"> » खाद का उत्पादन और बिक्री » कृषि अपशिष्ट की बिक्री 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले जैवनिम्नीकरणीय/जैविक अपशिष्ट के उपचार के लिए अतिरिक्त खाद गड्ढों की स्थापना खाद गड्ढों का रखरखाव और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त गड्ढों का निर्माण साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले सभी (100%) जैवनिम्नीकरणीय/जैविक अपशिष्ट के उपचार के लिए अतिरिक्त खाद गड्ढों की स्थापना खाद गड्ढों का रखरखाव और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त गड्ढों का निर्माण साझेदारी को बढ़ाना
अनुमानित लागत	20 वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों की लागत: ₹4,00,000 20 नाडेप गड्ढों की लागत: ₹2,00,000 कुल लागत: ₹6,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	<ol style="list-style-type: none"> जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम: <ul style="list-style-type: none"> छात्र एवं युवा समूह समुदाय के सदस्य एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों से उत्पाद बनाने के लिए पंचायत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल (इसके बारे में विस्तार से 'आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देना' अनुभाग में बताया गया है) 	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी का विस्तार करना 	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी का विस्तार करना
	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में 100-120 महिलाओं को जोड़ा जाना (वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 150 महिलाओं में से) 	<ol style="list-style-type: none"> एसयूपी पर प्रतिबंध बरकरार ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण में भागीदारी बढ़ाना : <ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 200 महिलाएँ अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई एवं व्यक्तिगत उद्यमी 	<ol style="list-style-type: none"> एसयूपी पर प्रतिबंध बरकरार उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग कम हो क्योंकि विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं



स्वच्छता बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	<ol style="list-style-type: none"> सोख्ता गड्डों सहित घरेलू शौचालयों का निर्माण सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> सामुदायिक शौचालय का नियमित रखरखाव अतिरिक्त सोख्ता गड्डों का निर्माण सोख्ता गड्डों का नियमित रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> सामुदायिक शौचालय का नियमित रखरखाव अतिरिक्त सोख्ता गड्डों का निर्माण सोख्ता गड्डों का नियमित रखरखाव

<ol style="list-style-type: none"> 1. सोख्ता गड्डों सहित 50 घरेलू शौचालयों का निर्माण 2. 1 सामुदायिक शौचालय का रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 सामुदायिक शौचालय का रखरखाव 2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सोख्ता गड्डों का निर्माण 3. सोख्ता गड्डों का नियमित रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 सामुदायिक शौचालय का रखरखाव 2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सोख्ता गड्डों का निर्माण 3. सोख्ता गड्डों का नियमित रखरखाव
घरेलू शौचालयों का निर्माण: ₹10,00,000 कुल लागत: ₹10 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम


- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग- पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (PPP) मॉडल संयंत्र, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास करने और व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ/सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में CSR का समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड



4. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

संदर्भ और मुद्दे

- जराखर ग्राम पंचायत ने 2022-23 में लगभग 6,99,500 यूनिट बिजली की खपत की। जबकि ग्राम पंचायत में लगभग 75 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन है, लेकिन समुदाय के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। औसतन, ग्राम पंचायत में हर दिन लगभग 4 घंटे बिजली की कटौती होती है।³⁹
- इसके अतिरिक्त, सिंचाई के लिए 36 डीजल पंपों का उपयोग किया जाता है, जो सालाना लगभग 11.8 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- अनेक घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में इंकंडेस्केंट लैंप, सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइटें और अन्य कम दक्षता वाले विद्युत उपकरण और उपकरण उपयोग में हैं।
- जराखर में लगभग 73% घर खाना पकाने के लिए एलपीजी का उपयोग करते हैं, जबकि 125 घरों में खाना पकाने के लिए गोबर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है।⁴⁰ इसलिए, स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों में बदलाव की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी बल्कि बेहतर इनडोर वायु गुणवत्ता जैसे सह-लाभ भी मिलेंगे।
- तापमान में वृद्धि के साथ घरों के भीतर तापीय आराम के स्तर में कमी के कारण सतत स्थान शीतलन समाधानों की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की पहचान की गई ऊर्जा संबंधी चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए और वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, उ.प्र. राज्य सौर नीति 2022, के संयोजन में, जराखर में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं। सुझाई गई गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, टिकाऊ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

39 जैसा क्षेत्र सर्वेक्षण में समुदाय द्वारा साझा किया गया

40 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान रिपोर्ट की गई



सोलर रूफटॉप स्थापना

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक शौचालय और आंगनवाड़ी केंद्र पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाया जाना ⁴¹	1. सभी नए निर्माणों में सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना 2. 366 (40%) पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित करना	1. सभी नए निर्माणों सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना 2. शेष बचे 553 घरों (मौजूदा पक्के घरों का 100%) के लिए सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करना
	सोलर रूफटॉप स्थापित करना: <ul style="list-style-type: none"> » पंचायत भवन (~ 92 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): ~5 kWp » 1 प्राथमिक विद्यालय (~92 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): ~5kWp » 1 जूनियर हाई स्कूल (~465 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): ~10 kWp » 4 आंगनवाड़ी केंद्र (प्रत्येक आंगनवाड़ी का छत क्षेत्रफल ~46 वर्ग मीटर, इस प्रकार प्रत्येक आंगनवाड़ी के लिए ~2 kWp): ~8 kWp » एएनएम सेंटर (~185 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): ~10 kWp » सामुदायिक शौचालय (~55 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): ~3 kWp कुल स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता: ~41 kWp कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: 54,907 kWh प्रति वर्ष (~150 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 45 tCO ₂ e	367 (~40%) पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित करना ⁴² स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता: ~1,098 kWp कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: 14,70,442 kWh प्रति वर्ष ⁴³ (~4,030 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी ⁴⁴ : लगभग 1,206 tCO ₂ e प्रति वर्ष	435 (~100%) पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित करना स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता: 1,660 kWp कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~22,21,733 kWh प्रति वर्ष ⁴⁵ (~6,087 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: लगभग 1,822 tCO ₂ e प्रति वर्ष
लक्ष्य			

41 पंचायती राज संस्थाओं के भवनों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापना की क्षमता 10 किलोवाट घंटा तक सीमित है।

42 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है; प्रति घर 3 kWp छत स्थापना का अनुमान

43 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से तीन गुना अधिक है

44 बचाए गए उत्सर्जन से ग्राम पंचायत को कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी

45 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से पांच गुना अधिक है

लक्ष्य	हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अति आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को देखते हुए, यदि छतों पर सौर पीवी स्थापना के इस चरण को अपनाया जाए तो घर भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।		
	कुल लागत: ₹20,50,000 (₹50,000/kWp)	कुल लागत: ₹5,49,00,000 सांकेतिक सब्सिडी ⁴⁶ : ~40 प्रतिशत (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹3,29,40,000	कुल लागत: ₹8,30,00,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40 प्रतिशत (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹4,98,00,000
अनुमानित लागत			

कृषि-फोटोवोल्टिक

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
स्मार्ट ग्रिड क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	किसानों, किसान समूहों, महिला समूहों आदि के बीच जागरूकता बढ़ाना	उपयुक्त कृषि भूमि के एक हिस्से पर स्थापित कृषि-फोटोवोल्टेइक (बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत)	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टेइक स्थापित किया जाना (बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत)
लक्ष्य	किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्र आयोजित करना	~2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: ~549 tCO ₂ e प्रति वर्ष
अनुमानित लागत	आवश्यकता के अनुसार	कुल लागत: ₹5 करोड़ ⁴⁷	कुल लागत: ₹5 करोड़

46 सब्सिडी परिवर्तनशील है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और मौजूदा समय में सटीक नहीं हो सकती है।

47 प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ एग्रो पीवी की लागत कम होती जा रही है। हालांकि, उच्चतर पक्ष पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि क्षेत्रों के लिए भी फसल चक्र का अभ्यास करते हैं। इसलिए, बागवानी के अंतर्गत उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत ही कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।



चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	मौजूदा डीजल पंप सेटों में से 20% को सौर पंपों से बदलना* * यदि सौर पंप व्यवहार्य न हों तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।	1. मौजूदा डीजल पंपों में से अतिरिक्त 30% (कुल 70%) को सौर पंपों से बदलना 2. सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना	1. मौजूदा डीजल पंपों के अतिरिक्त 50% (संचयी 1000%) को सौर पंपों से बदलना 2. सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना
लक्ष्य	7 डीजल पंपों को सौर पंपों से बदला जाना स्थापित क्षमता: 38.5 किलोवाट सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन: ~51,560 kWh प्रति वर्ष (~141 यूनिट प्रति दिन) डीजल की खपत में कमी: ~2,730 लीटर/वर्ष उत्सर्जन में कमी: 7.35 tCO ₂ e प्रति वर्ष	11 डीजल पंपों को सौर पंपों से बदला जाना स्थापित क्षमता: 60.5 किलोवाट सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन: ~81,020 kWh प्रति वर्ष (~222 यूनिट प्रति दिन) डीजल की खपत में कमी: ~4,290 लीटर/वर्ष उत्सर्जन में कमी: 11.55 tCO ₂ e प्रति वर्ष	18 डीजल पंपों को सौर पंपों से बदला जाना स्थापित क्षमता: 99 किलोवाट सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन: ~1,32,580 kWh प्रति वर्ष (~363 यूनिट प्रति दिन) डीजल की खपत में कमी: ~7,020 लीटर/वर्ष उत्सर्जन में कमी: 18.9 tCO ₂ e प्रति वर्ष
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹21,00,000 से ₹35,00,000 (₹3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 एचपी सोलर पंप) सांकेतिक सब्सिडी: 60 प्रतिशत (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹8.4 लाख से ₹14 लाख	कुल लागत: ₹33,00,000 से ₹55,00,000 सांकेतिक सब्सिडी: 60 प्रतिशत (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹13.2 लाख से ₹22 लाख	कुल लागत: ₹54,00,000 से ₹90,00,000 सांकेतिक सब्सिडी: 60 प्रतिशत (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹21.60 लाख से ₹36 लाख



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एल.पी.जी. परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन चूल्हे + उन्नत चूल्हे + एल.पी.जी.	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एल.पी.जी. परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन चूल्हे + उन्नत चूल्हे + एल.पी.जी. सभी नए घरेलू निर्माणों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा चालित चूल्हे और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र शामिल हैं	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एल.पी.जी. परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन चूल्हे + उन्नत चूल्हे + एल.पी.जी. सभी नए घरेलू निर्माणों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा चालित चूल्हे और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र शामिल हैं
	परिदृश्य 1: 50 परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग करते हैं +948 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग करते हैं परिदृश्य 2: 12 परिवार सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग करते हैं (उच्च आय वर्ग के 25 प्रतिशत परिवार) + 31 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग करते हैं (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 25 प्रतिशत परिवार) + 955 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग करते हैं इसमें ग्राम पंचायतों में एल.पी.जी. का निरंतर उपयोग भी शामिल है	परिदृश्य 1: 50 परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग करते हैं +898 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग करते हैं परिदृश्य 2: 12 और परिवार सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग करते हैं (उच्च आय वर्ग के 25 प्रतिशत परिवार अतिरिक्त) + 31 और परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग करते हैं (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 25 प्रतिशत परिवार अतिरिक्त) + 912 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग करते हैं इसमें पंचायत के शेष घरों में एलपीजी का उपयोग भी शामिल है	परिदृश्य 1: 100 परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग करते हैं +798 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग करते हैं परिदृश्य 2: 26 और परिवार सौर ऊर्जा चालित प्रेरण चूल्हों का उपयोग करते हैं (उच्च आय वर्ग के 100 प्रतिशत परिवार) + 63 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग करते हैं (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100 प्रतिशत परिवार) + 823 परिवार एल.पी.जी. का उपयोग करते हैं। इसमें ग्राम पंचायतों में एल.पी.जी. का निरंतर उपयोग भी शामिल है
	परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹25,00,000 (2 से 3 m ³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000) परिदृश्य 2: ₹6,33,000 (सौर इंडक्शन चूल्हे के लिए ₹5,40,000 + उन्नत चूल्हे के लिए ₹93,000) परिदृश्यों की औसत लागत: ₹15,66,500	परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹25,00,000 (2 से 3 m ³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000) परिदृश्य 2: ₹6,33,000 (सौर इंडक्शन चूल्हे के लिए ₹5,40,000 + उन्नत चूल्हे के लिए ₹93,000) परिदृश्यों की औसत लागत: ₹15,66,500	परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹25,00,000 (2 से 3 m ³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000) परिदृश्य 2: ₹15,42,000 (सौर चूल्हे के लिए ₹11,70,000 + उन्नत चूल्हे के लिए ₹1,89,000) परिदृश्यों की औसत लागत: ₹32,71,500
अनुमानित लागत			



चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक भवनों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, एएनएम केंद्र, सामुदायिक शौचालय) में सभी प्रकाश उपकरणों और पंखों को ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदला जाना घरों में प्रकाश उपकरणों और पंखों को ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदलना निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों में प्रकाश उपकरणों और पंखों को ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदलना निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) 	<p>घरों में प्रकाश उपकरणों और पंखों को ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदलना</p>
	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी भवनों में सभी ट्यूब लाइटें और पंखे (लगभग 50 ट्यूब लाइटें और 50 पंखे) बदले जाना निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत मौजूदा ट्यूबलाइटों और पंखों को ऊर्जा कुशल उपकरणों से प्रतिस्थापित करना: <ul style="list-style-type: none"> » 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले घर: ~20 एलईडी ट्यूब लाइट और ~70 ऊर्जा कुशल पंखे » 500 से 1,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले घर: ~150 ट्यूब लाइट और ~1200 ऊर्जा कुशल पंखे 	<p>निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत मौजूदा ट्यूबलाइटों और पंखों को ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदलना:</p> <ul style="list-style-type: none"> » 1,000 वर्ग फीट से 2,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले घर: ~30 ट्यूब लाइट और ~180 ऊर्जा कुशल पंखे 	<p>निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत मौजूदा ट्यूबलाइटों और पंखों को ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदलना :</p> <ul style="list-style-type: none"> » 2,000 वर्ग फीट इससे अधिक क्षेत्रफल वाले घर : ~20 ट्यूब लाइट और ~200 ऊर्जा कुशल पंखे

अनुमानित लागत

212 एलईडी ट्यूब लाइट की कीमत:
₹48,400

1,312 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत:
₹14,65,200

कुल लागत: ₹15,13,600

30 एलईडी ट्यूब लाइट की कीमत:
₹6,600

180 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत:
₹1,99,800

कुल लागत: ₹2,06,400

20 एलईडी ट्यूब लाइट की कीमत:
₹4,400

200 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत:
₹2,22,000

कुल लागत: ₹2,26,400



सोलर स्ट्रीट लाइटें

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर 155 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना	सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर 155 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना	नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटें लगाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> प्रमुख स्थानों (प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, पंचायत भवन, सड़क के किनारे, जल निकायों आदि) पर 5 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना। सड़कों और मार्गों के किनारे 150 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> प्रमुख स्थानों पर 5 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना सड़कों और रास्तों के किनारे 150 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना 	नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटें लगाना
अनुमानित लागत	<p>सौर हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹2,50,000</p> <p>एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹15,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹17,50,000</p>	<p>सौर हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹2,50,000</p> <p>एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹15,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹17,50,000</p>	आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 में⁴⁸ निम्नलिखित प्रावधान हैं:
 - आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों पर सब्सिडी: ₹15,000/किलोवाट से लेकर अधिकतम ₹30,000/- प्रति उपभोक्ता तक, एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त।
 - संस्थानों में स्वयं द्वारा अथवा यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को मोड में सौर ऊर्जा स्थापना का प्रावधान,⁴⁹ जिसमें संयंत्र की लागत का 3 प्रतिशत परामर्श शुल्क देना होगा।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
 - 3 किलोवाट क्षमता तक की आरटीएस प्रणालियों के लिए 40 प्रतिशत तक सीएफए दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाली आरटीएस प्रणालियों के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) क्षमता के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक सीमित होगा।
 - ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्र की स्थापना के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित होगी और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
 - पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन किए जा सकते हैं।⁵⁰ इस योजना में 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40% सीएफए प्रदान किया जाता है। सीएफए की अधिकतम सीमा 3 किलोवाट होगी। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, इसका मतलब होगा 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी।
- पीएम कुसुम योजना प्रदान करती है:
 - पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और उससे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
 - पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के तहत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेंगे। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किश्तों में किया जा सकता है।
- पीएम कुसुम योजना में उ.प्र. सरकार का योगदान:
 - घटक सी-1 के अंतर्गत: किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सौरीकरण; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है।
 - घटक सी-2 के अंतर्गत: राज्य सरकार द्वारा पृथक कृषि फीडरों का सौरीकरण, जिसके लिए एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त 50 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) प्रदान की जाएगी।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁵¹:
 - ईईएसएल अपने खर्च पर पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदल देता है और 7 वर्षों तक एलईडी बल्बों के मुफ्त प्रतिस्थापन और रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है।
 - अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सौर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वाट एलईडी और 3 दिन की बैटरी बैक-अप के साथ सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं।

48 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

49 तृतीय पक्ष (आरईएससीओ मोड) {अक्षय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी}

50 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

51 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम। <https://eesindia.org/en/oursInp/>

- ग्राम उजाला योजना⁵²:
 - » एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्धता
 - » ग्रामीण उपभोक्ताओं को कार्यशील इंकन्डेस्केन्ट बल्बों के बदले में तीन वर्ष की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे।
- शीत भंडारण स्थापना के लिए सब्सिडी
 - » परियोजना लागत के 35 प्रतिशत के बराबर ऋण से जुड़ी बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 - कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी&एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का क्रियान्वयन कर रहा है।
 - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) 'शीत भंडारण और बागवानी उत्पादों के भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी' नामक एक योजना को लागू कर रहा है।
 - » प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना घटक के तहत 35 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो⁵³ गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और मुर्गीपालन के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ अवसंरचना सुविधा के निर्माण के लिए प्राप्त की जा सकती है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन अवसंरचना के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलापन प्रदान करती है।
- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाजार आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है
- 15 वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत 'गोबरधन' (गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) जैसी योजनाओं के माध्यम से धन जुटाना।
 - » एसबीएम-जी के तहत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर पर बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है⁵⁴।
- उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022,⁵⁵ गोबरधन योजना के तहत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
 - » संपीडित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर 75 लाख/टन से अधिकतम 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट
 - » स्टाम्प ड्यूटी और बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है:
 - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता 0.25 करोड़ प्रति 12000 m³/दिन है⁵⁶

52 ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे (फरवरी 2023), पीआईबी <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897767>

53 जैसे कि फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, मल्टी प्रोडक्ट/मल्टी टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र में ब्लास्ट फ्रीजिंग और रीफर वैन, मोबाइल कूलिंग यूनिट

54 <https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1883926>

55 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

56 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद हेतु ऋण के लिए स्थानीय बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ संबंध का पता लगाना।
- एग्रो-फोटोवोल्टिक्स के लिए सोलर डेवलपर्स के साथ साझेदारों का पता लगाना।
- सीएसआर निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम हेतु सब्सिडी के अतिरिक्त सोलर रूफटॉप/एग्रो-फोटोवोल्टिक्स/सोलर पंप की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत सुरक्षित करना
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी के सदस्यों को " संचालन एवं रखरखाव " का प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - » रूफटॉप सोलर (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) सौर सिंचाई (प्रधानमंत्री-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना।

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग



5. सतत कृषि

संदर्भ और मुद्दे

- जराखर ग्राम पंचायत में लगभग 80 प्रतिशत परिवार आय के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं।
- जराखर में कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग 1,343 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त, सकल फसल क्षेत्र ~2,190 हेक्टेयर है।
- खरीफ और रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं गेहूं (~ 630 हेक्टेयर), मसूर (~ 140 हेक्टेयर), ज्वार (~ 100 हेक्टेयर), हरा चना (~ 100 हेक्टेयर)।
- 2019-2022⁵⁷ तक, जराखर ग्राम पंचायत ने 4 बार सूखा जैसी स्थिति का अनुभव किया, आमतौर पर अप्रैल से जुलाई और सितंबर से अक्टूबर के दौरान, जिसके कारण फसल खराब हुई, साथ ही चारे की कमी हुई जिससे किसानों की आजीविका पर प्रभाव पड़ा।
- मानसून में देरी के कारण ज्वार और बाजरा की बुवाई का समय जून से जुलाई में बदल गया है, जबकि गेहूं की बुवाई का समय अक्टूबर से नवंबर में बदल गया है⁵⁸।
- 2018 से 2022 के बीच, अनियमित वर्षा, तीव्र गर्मी के मौसम और बीमारियों के कारण फसल को नुकसान हुआ। उड़द, मूंगफली, चना और सरसों जैसी फसलों में नुकसान की सूचना मिली है।
- चरम मौसम की स्थिति के कारण, 2018 और 2022 के बीच औसतन लगभग 60-70 बकरियां, 10-15 गायें और 4-6 भैंसें शीत लहर और अन्य बीमारियों का शिकार हो गईं⁵⁹।
- जराखर के किसान सालाना ~145 टन यूरिया, ~64 टन डीएपी और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रति वर्ष ~1,145 tCO₂e का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। इसके अलावा, किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों जैसे अन्य रासायनिक जानकारी पर निर्भर रहते हैं।
- क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है कि सिंचाई की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे जल संरक्षण और उन्नत सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- पशुपालन करने वाले परिवारों में सतत खाद प्रबंधन पद्धतियों का अभाव है और सूखे के दौरान उन्हें चारे की कमी का सामना करना पड़ता है।⁶⁰

उपरोक्त बिन्दु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

57 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

58 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार

59 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार

60 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार



जलवायु अनुकूल खेती

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	<ol style="list-style-type: none"> ड्रिप सिंचाई और स्प्रींकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देना और अपनाना सिंचित खेतों से वाष्पीकरण से होने वाली हानि को कम करने के लिए मल्टिचिंग का उपयोग कृषि क्षेत्रों के चारों ओर वृक्षों से मेड़बंधी का निर्माण गेहूं की सूखा सहनशील किस्म को अपनाना जहाँ भी संभव हो, कृषि तालाबों का निर्माण किसानों को फसल हानि से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना मिश्रित/अंतर फसल और कृषि संबंधी उपायों को बढ़ावा देना⁶¹ 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार अतिरिक्त मेड़बंधी का निर्माण अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण फसलों की सूखा सहने योग्य किस्मों को अपनाने के लिए चरण I की गतिविधियों का विस्तार जागरूकता बढ़ाने की पहल जारी रखना और फसल नुकसान से बचाने के लिए किसानों को विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना। मिश्रित/अंतर फसल और कृषि संबंधी उपायों का कार्यान्वयन जारी रखना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार फसलों की सूखा सहने योग्य किस्मों को अपनाने के लिए चरण II की गतिविधियों का विस्तार मिश्रित/अंतर फसल और कृषि संबंधी उपायों का कार्यान्वयन जारी रखना
	<ol style="list-style-type: none"> ~670 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों सहित मेड़बंधी (कुल कृषि क्षेत्र का 50%) लगभग 105 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां शुरू करना (30% कृषि भूमि पर पीली मसूर, लाल मसूर, मटर, सरसों, चना, मूंग, सब्जी आदि की खेती होती है) जहां तक संभव हो 300 m³ क्षमता वाले 5-10 कृषि तालाबों का निर्माण ज्वार, तिल, हरा/काला चना आदि फसलों के साथ मिश्रित फसल को बढ़ावा देना 	<ol style="list-style-type: none"> 673 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि पर वृक्षों के साथ मेड़बंधी (कृषि भूमि का 100%) लगभग 140 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां शुरू की गईं (हरी चना, पीली मसूर, लाल मसूर, मटर, सरसों, सब्जी आदि के अंतर्गत कुल 50% कृषि भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया) 15-20 कृषि तालाबों का निर्माण करना 	<ol style="list-style-type: none"> लगभग 140 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां शुरू की गईं (हरी चना, पीली मसूर, लाल मसूर, मटर, सरसों, सब्जी आदि के अंतर्गत कुल 100% कृषि भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया) मेड़बंधी और खेत तालाबों का रखरखाव

61 जिला: हमीरपुर के लिए कृषि आकस्मिक योजना। https://icar-crida.res.in/CP/Uttar_Pradesh/UP39-Hamirpur%20draft%20plan-10.07.14.pdf

अनुमानित लागत

1. मेड़बंधी: ~ ₹3,88,200
 2. सूक्ष्म सिंचाई: ₹,105,00,000
 3. कृषि तालाबों का निर्माण:
₹4,50,000 से ₹9,00,000
- कुल लागत: ₹1,13,38,200 से
₹1,17,88,200

1. मेड़बंधी: ~₹3,89,100
 2. सूक्ष्म सिंचाई: ₹1,40,00,000
 3. कृषि तालाबों का निर्माण:
₹13,50,000 से ₹18,00,000
- कुल लागत: ₹1,57,39,100 से
₹1,61,89,100

सूक्ष्म सिंचाई: ₹1,40,00,000
कुल लागत: ₹1,40,00,000



प्राकृतिक खेती को अपनाना

चरण

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्राकृतिक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। <ul style="list-style-type: none"> » प्रशिक्षण और प्रदर्शन » नर्सरी और स्थानीय बीज बैंक का विकास (अनुभाग "विचारार्थ अतिरिक्त परियोजनाओं की सूची" देखें) » जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू किया जाना » बाजार से जुड़ाव का पता लगाया जाएगा 2. मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने, कीटों को कम करने और पैदावार में सुधार के लिए मिश्रित फसल, फसल चक्रण, मल्लिंग, शून्य जुताई जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना और अपनाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणीकरण तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना) 2. पहले चरण में लागू गतिविधियों को बढ़ावा देना और अपनाना 	100% कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती
लक्ष्य	लगभग 200 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए परिवर्तित करना	~535 हेक्टेयर (40%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए परिवर्तित करना	शेष 608 हेक्टेयर (100% कवर) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

अनुमानित लागत

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ~₹4,94,00,000
- कुल लागत: ₹4,94,60,000

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ~₹5,35,00,000
- कुल लागत: ₹5,35,60,000

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ~₹6,08,00,000
- कुल लागत: ₹6,08,60,000



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना 2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-वेट प्रशिक्षण देना 3. पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए हस्तक्षेप हेतु विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची अनुभाग देखें। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार 2. आवश्यकतानुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण का विस्तार करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार 2. आवश्यकतानुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण का विस्तार करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए सतत पालन पद्धतियों, रोग की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएं आयोजित करना 2. 2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण⁶² 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोग की रोकथाम और सतत पालन पद्धतियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित करना 2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोग की रोकथाम और सतत पालन पद्धतियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित करना 2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
अनुमानित लागत	कार्यशाला और पैरा-वेट प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

62 ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- सूखा प्रबंधन और रोकथाम प्रथाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ.प्र. मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- मनरेगा के माध्यम से सूखा निरोधक गतिविधियों तथा नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान समर्थन के साथ-साथ जैविक खेती के प्रदर्शन को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती प्रकोष्ठ के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु सहायता हेतु कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण में किसानों की सहायता करती है तथा जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देती है।
- उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना इसका उपयोग कृषि क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा चालित बाड़ लगाने में किया जा सकता है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- स्थापना एवं संचालन ('स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)
 - » फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक इनपुट, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार संपर्क और मौसम आधारित सूचना सेवाएं आदि के बारे में जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, अंततः जैविक खेती में बदलाव, सूखे से बचाव वाली कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- इसके अलावा, जराखर में टिकाऊ कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य सामुदायिक सदस्यों का क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉर्पोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- सीआईपीएम - एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केन्द्र, हमीरपुर



6. सतत और उन्नत गतिशीलता

संदर्भ और मुद्दे

- जराखर के पास लगभग 1,130 आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहन हैं, जिनमें 716 दोपहिया वाहन, 9 कारें, 3 जीप, 2 ऑटो और लगभग 400 ट्रैक्टर शामिल हैं⁶³
- इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 10 ई-रिक्शा भी हैं।
- इन ICE वाहनों की कुल ईंधन खपत ~355 किलोलीटर (kl) डीजल और ~140 kl पेट्रोल प्रति वर्ष है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन से 1,294 tCO₂e उत्सर्जन हुआ है⁶⁴

इसलिए, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों की ओर बदलाव की काफी संभावनाएँ हैं।



मौजूदा बुनियादी सड़क ढांचे को बढ़ाना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	सड़क निर्माण कार्य (आरसीसी और इंटरलॉकिंग)	सड़क अवसंरचना का नियमित रखरखाव और आवश्यकता अनुसार मरम्मत	सड़क अवसंरचना का नियमित रखरखाव और आवश्यकता अनुसार मरम्मत
लक्ष्य	सड़क निर्माण 4 स्थानों पर ⁶⁵	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे का रखरखाव	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे का रखरखाव

63 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

64 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

65 स्थान विवरण के लिए HRVCA देखें

अनुमानित लागत

सड़क निर्माण लागत: ₹24,00,000 कुल लागत: ₹24 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
--	---------------	---------------



ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टरों को अपनाने को बढ़ावा देना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों/उद्यमियों) को संवेदनशील बनाना ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहनों को किराये पर देने की सुविधा स्थापित करना 	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों के लिए संवेदीकरण गतिविधियाँ जारी रखना	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों के लिए संवेदीकरण गतिविधियाँ जारी रखना
लक्ष्य	कुल 2 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक खरीदे जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर खरीदे जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर खरीदे जाना
अनुमानित लागत	2 ई-ट्रैक्टर की कुल लागत: ~ ₹12,00,000 5 ई-वाणिज्यिक वाहनों की कुल लागत: ₹25,00,000 – 50,00,000 कुल लागत: ₹36 लाख – ₹62 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
दुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में ऑटो रिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा लाना	पंचायत के अंतिम छोर तक आवागमन व्यवस्था में सुधार और सुविधा की उपलब्धता के लिए अधिक ई-ऑटो रिक्शा शुरू करना	मांग के आधार पर अधिक ई-ऑटोरिक्शा और ई-रिक्शा की खरीद
लक्ष्य	2 ऑटो-रिक्शा को 2 ई-ऑटो रिक्शा से बदलना जीएचजी उत्सर्जन में कमी: 3tCO ₂ e ⁶⁶	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा खरीदे जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा खरीदे जाना
अनुमानित लागत	एक ई-ऑटोरिक्शा की लागत ⁶⁷ : लगभग ₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक 2 ई-ऑटो रिक्शा की प्रभावी लागत: ₹5,76,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

66 समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रति ऑटो कम किए गए जीएचजी उत्सर्जन का अनुमान 1.50 tCO₂e प्रति ऑटो है। डीजल ऑटो रिक्शा को ई-ऑटो रिक्शा से बदलने से यह उत्सर्जन कम होगा और ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या यहां तक कि कार्बन नेगेटिव बनाने में योगदान मिलेगा।

67 ई-ऑटो रिक्शा की कीमत 1,50,000 रुपये से लेकर 4,00,000 रुपये तक होती है, जो कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार आदि पर निर्भर करती है। इसके अलावा, ई-रिक्शा की कीमत 50,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक होती है। ई-ऑटो रिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान/बीज पूंजी/व्यवहार्यता अंतर निधि को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है।

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा के सहयोग से सड़क बुनियादी ढांचे की मरम्मत और सुधार किया जा सकता है।
- उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022
 - » खरीदारों को 100 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क और सड़क कर में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
 - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को (एक बार) प्रारंभिक पक्षी प्रोत्साहन के रूप में खरीद सब्सिडी⁶⁸ - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹5000 तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत; 3-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹12000 तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण के चरण II (FAME II) योजना के तहत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का लाभ भी उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और ओएसआर
- सीएसआर के समर्थन से बैंकों एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों से ऋण।

प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)

68 सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, लाभार्थियों की संख्या और मात्रा दोनों के संदर्भ में समय-समय पर बदलती रहती है। इसलिए, इस योजना के किसी भी भाग में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।



7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

कृषि और पशुपालन ग्राम पंचायत का मुख्य आधार है और लगभग 80 प्रतिशत परिवार इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। बदलती जलवायु एवं मौजूदा अस्थिर उत्पादन प्रथाओं के कारण दोनों ही क्षेत्रों में आजीविका असुरक्षा है। इस प्रकार, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत पशुपालन और स्थानीय व्यवसाय/दुकान हैं। पिछले 5 वर्षों में, बेहतर आजीविका की तलाश में 100 से अधिक परिवार ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, ग्राम पंचायत के भीतर उल्लिखित गतिविधियों से जुड़े रोज़गार के सीमित अवसर हैं। इस कार्य योजना में उल्लिखित गतिविधियां आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई अवसर प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:



सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. सतत उत्पादों (बैग, घर की सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण के लिए महिलाओं, एसएचजी और घर-आधारित कुटीर उद्योगों को शामिल करना
2. क्षमता निर्माण:
 - » उत्पाद रेंज का विविधीकरण
 - » ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

निम्न का प्रारंभिक जुड़ाव:

- » 100 महिलाएं
- » 8 स्वयं सहायता समूह
- » 50 घर
- » स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग

ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- » अतिरिक्त 200 महिलाएं
- » अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य



जैविक कचरे से खाद बनाना और उसे उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता निर्माण
 - » कंपोस्टिंग और वर्मी-कंपोस्टिंग तकनीक
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

तत्काल लक्ष्य: घरेलू अपशिष्ट (जैविक) से उत्पादित खाद: 370 किग्रा प्रतिदिन; 11,100 किग्रा प्रति माह (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



डेयरी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना^{69 70}

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, पशुपालन करने वाले परिवारों और किसानों को शामिल करके दुग्ध सहकारी समिति/एफपीओ का गठन
2. दूध उत्पादकों को स्वच्छ दूध एवं नस्ल सुधार पर प्रशिक्षण
3. दुग्ध सहकारी समितियों/एफपीओ के लिए डेयरी के तकनीकी, वित्तीय पहलुओं, उत्पादों के विविधीकरण आदि पर प्रशिक्षण।
4. एक शीतलन संयंत्र के साथ एक दूध प्रसंस्करण इकाई की खरीद और स्थापना।
5. ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर उत्पादों का बाजार से जुड़ाव

लक्ष्य

तत्काल लक्ष्य:

- » किसानों की सहभागिता,
- » 5 स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना
- » महिलाओं और किसानों के लिए डेयरी संचालन पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन सत्र का आयोजन
- » दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन का एकीकरण

दीर्घकालिक लक्ष्य:

- » बाजार संपर्क और वितरण नेटवर्क को बढ़ाना
- » निकटवर्ती ब्लॉकों/जिलों को कवर करके दुग्ध सहकारी/एफपीओ संचालन का विस्तार

69 उ.प्र. डेयरी विकास नीति, 2022 <https://invest.up.gov.in/uttar-pradesh-dairy-farm-development-and-dairy-products-promotion-policy-2022/>

70 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि (डीआईडीएफ) <https://dahd.nic.in/schemes/programmes/didf>



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टरों की वाणिज्यिक किराये पर (किराये के आधार पर) उ.प्र. ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के तहत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों) को संवेदनशील बनाना

तत्काल लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: प्रति ई-ट्रैक्टर ₹6 लाख)
2. 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद

(नोट: यह माना जाता है कि जराखर में आमतौर पर 35 एचपी ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है जिसकी लागत लगभग ₹6 लाख है)

लक्ष्य



सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में) को सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज स्थान किराए पर देने के माध्यम से उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच व्यापार मॉडल/गठबंधन

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर टन)

लागत: लगभग ₹8,00,000 से ₹15,00,000

लक्ष्य



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए

1. आरोग्य वन के विकास और रख-रखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाना



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और जैव-गैस) का प्रचालन एवं रखरखाव

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा के रखरखाव में कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों, विशेषकर स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सौर और बायो-गैस स्थापना और ओ एंड एम व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की कौशल उन्नयन योजनाओं से समर्थन

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता एवं आजीविका (विभिन्न ऋण योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से) को समर्थन देने के लिए बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को संवेदनशील बनाना; मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि जैसी सरकारी ऋण योजनाएं महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान कर सकती हैं।
- सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल नवाचार मिशन के माध्यम से आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाता है।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 71,72,73

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्युबलाइट आदि के उपयोग को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

71 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

72 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

73 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁷⁴ का थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁷⁵:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁷⁶:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

74 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

75 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

76 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब^{77,78}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁷⁹

- गुजरात के हिम्मतनगर में पशु आश्रय स्थल गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल में बायोगैस और वर्मिकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मिकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁸⁰" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁸¹

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतों में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

77 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

78 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

79 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

80 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscspssc>

81 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸²।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रॉक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में⁸³

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

82 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

83 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁸⁴

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्प्लिफ़ाइंग लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁸⁵

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

84 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

85 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁸⁶

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में⁸⁷

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।



86 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

87 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>









अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁸
<p>क. जल निकायों का रखरखाव</p> 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5 <p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5
<p>ख. वर्षा जल संचयन (RWH)</p> 		    

88 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁹
<p>क. हरित क्षेत्र में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f9a825; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES  </div> <div style="background-color: #d9534f; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION  </div> <div style="background-color: #2e8b57; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> 13 CLIMATE ACTION  </div> <div style="background-color: #38a838; padding: 5px; text-align: center;"> 15 LIFE ON LAND  </div> </div>




89 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलजमाव में कमी जल और भूमि प्रदूषण में कमी/ बेहतर स्वच्छता 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9
<p>ख. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8
<p>ग. स्वच्छता बुनियादी ढांचे को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत आदान अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
<p>घ. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
		<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
		<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
		<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1










स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच








सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफटॉप स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य 6.4</p>
<p>ख. कृषि-फोटोवोल्टिक</p> 	<ul style="list-style-type: none"> उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी 	<p>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.ए लक्ष्य 7.बी
<p>ग. सोलर पंप</p> 	<ul style="list-style-type: none"> चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ड. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर</p> 		
<p>च. सोलर स्ट्रीट लाइट</p> 		



सतत कृषि

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. जलवायु अनुकूल खेती</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार कृषि जल सुरक्षा में सुधार शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम और उत्पादकता में वृद्धि वायु गुणवत्ता में सुधार और उत्सर्जन में कमी 	<p>एसडीजी 2: शून्य भूख</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. प्राकृतिक खेती अपनाना</p> 		<p>2 ZERO HUNGER</p>  <p>6 CLEAN WATER AND SANITATION</p>  <p>12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION</p>  <p>13 CLIMATE ACTION</p> 
<p>ग. सतत पशुधन प्रबंधन</p> 		

सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. मौजूदा सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार जोखिम वाले और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलजमाव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार 	<p>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 <p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टरों को अपनाने को बढ़ावा देना</p> 		<p>7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY</p>  <p>11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES</p>  <p>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</p>  <p>13 CLIMATE ACTION</p> 
<p>ग. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन</p> 		

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁰
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करें</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प जल और भूमि प्रदूषण में कमी सतत कृषि के लिए उन्नत आदान 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5
<p>ख. जैविक कचरे से खाद बनाना और उसे उर्वरक के रूप में बेचना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
<p>ग. डेयरी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>घ. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ङ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका को बेहतर बनाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	   
<p>च. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 		
<p>छ. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और जैव-गैस) का प्रचालन एवं रखरखाव</p> 		

90 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

क्रियान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशंसाओं से जराखर के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गाँव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। जराखर के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर जराखर को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, जराखर जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी।

कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही जराखर को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁹¹। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

जराखर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁹² का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ्रील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: : मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया

91 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

92 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को क्लाउड स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » जराखर ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : जराखर

विकासखण्ड : गोहांड

जनपद :हमीरपुर

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	1
2	टोलों की संख्या	—
3	a कुल जनसंख्या	7958
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	5123
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	2835
	d विकलांगजन की जनसंख्या	58
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	785 (0-6 वर्ष)
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	585
4	कुल परिवार की संख्या	998
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	बी पी एल – 876 , अन्त्योदय – 68
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	17.33 किमी ⁰²
6 a	साक्षरता दर	74.23 प्रतिशत
7 a	पक्का घरों की संख्या	919 (90 प्रतिशत)
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	79 (10 प्रतिशत) खपरेल,मिट्टी,ईट

II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	567
	किराए की भूमि (हुण्डा)	103
	अनुबंध खेती	23
	दिहाड़ी मजदूर	187
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	55 परिवार
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	74
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	129
	कुटीर उद्योग	16
	कृषि	659
	कला/हस्तकला	10
	पशुपालन	422



व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	65
व्यवसाय/उद्यम	8
दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	1257
अन्य	—

10	पलायन	हां	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	हां	<input type="checkbox"/>
b	पलायन करने वाले स्थान पूना, दिल्ली, राजकोट, इटाबा	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/ व्यक्तिगत की संख्या	800 लोग
	अन्य गांव		पलायन के मुख्य कारण बेरोजगारी है
	निकट के शहर	राठ—उरई	40—42 लोग
	राज्य के प्रमुख शहर इटावा, औरैया,	इटावा, औरैया, भोगनीपुर	452
	देश के प्रमुख महानगर	दिल्ली	583
c	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां	नहीं
		<input type="checkbox"/>	नहीं
d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	कोई नहीं	

11	महिलाओं की स्थिति	
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत—महिला)	68 विधवा — मजदूरी किसानी
b	खेती में कार्यरत महिला	1325 कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	304
	किराए की भूमि/हुण्डा	64
	अनुबंध खेती	23
	दिहाड़ी मजदूर	153
	अन्य व्यवस्था	—
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	43
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	21



	कुटीर उद्योग	11
	कृषि	63
	कला / हस्तकला	10
	पशुपालन	213
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	13
	दैनिक / दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	300
	अन्य	—

12 स्वयं सहायता समूहों					
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1-	संतोषी	10	समूह सदस्य की बचत से गाड़ी खरीद	12000 ₹0 लगभग	हाँ
2-	जग्रति	10	छुकान	1200 /—	हाँ
3-	वृम्हानंद	10	समूह की बचत	1200 /—	हाँ
4-	माँ शारद	10	समूह की बचत	1200 /—	हाँ
5-	पृथ्वी	10	जनरल स्टोर	1200 /—	हाँ
6-	जयबाबा	10	समूह की बचत	1200 /—	हाँ
7-	जय अंबे माँ	10	समूह की बचत	1200 /—	हाँ
8-	पार्वती	10	समूह की बचत	1200 /—	हाँ
9-	माँ काली	10	समूह की बचत	1200 /—	हाँ
10-	शिवशंकर	10	समूह की बचत	1200 /—	हाँ
11-	गंगा	10	समूह की बचत	1200 /—	हाँ
12-	साधना	10	समूह की बचत	1200 /—	हाँ





14 अन्य समुदाय आधारित संगठन /						
एफ.पी.ओ. के नाम	क्या इस समुदाय में महिला प्रमुख की संरचना / समिति है?	प्रत्येक एफ.पी.ओ. में सदस्यों की संख्या	एफ.पी.ओ. के प्राप्त वार्षिक राजस्व/बचत	उत्पाद/सेवा	पंचायत में की गई गतिविधियाँ/कार्य	पंचायत में की गई गतिविधियाँ/कार्य
कोई नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>	120 लोग	800 रु0	-	-	-
जय बजरंग बली कोई नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>	60 लोग	नया बना	-	-	-
कोई नहीं	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
कोई नहीं	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
कोई नहीं	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
कोई नहीं	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-

15 योजनाएं						
a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु0)	अन्य कोई बकाया (रु0)	की गई गतिविधियाँ/कार्य
	मनरेगा	1605	1494	300294	-	खडंजा निर्माण, तालाब गहरीकरण, मेढ़बंधी
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	944	944	-	-	-
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	326	326	-	-	-
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	14	14	-	-	-
	प्रधान मंत्री कुसुम योजना	-	-	-	-	-
b	अन्य योजनाएं	-	-	-	-	-
	ग्राम उज्जवला योजना	-	-	-	-	-
	ऊर्जा दक्षता योजना	-	-	-	-	-
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	-	-	-	-	-
	प्रधानमंत्री आवास योजना	156	158	-	-	-
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0)	-	-	-	-	-
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	-	-	-	-



	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	-	-	-	-	-
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	-	-	-	-	-
	मौसम आधारित फसल बीमा	-	-	-	-	-
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	529	529	-	-	-
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	-	-	-	-	-
	किसान क्रेडिट कार्ड	189	189	-	-	-
	स्वच्छ भारत मिशन	-	-	-	-	-
	सौर सिंचाई पम्प योजना	-	-	-	-	-
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	-	-	-	-	-
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	-	-	-	-	-
	गोवर्धन योजना	-	-	-	-	-
	जल पुनर्भरण योजना	-	-	-	-	-
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	-	-	-	-	-
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	-	-	-	-	-
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	-	-	-	-	-
	अन्य (एक जिला—एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	-	-	-	-	-
	उद्यमिता सहायता योजनाएं आदि	-	-	-	-	-

16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	1576				
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	150				
18	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है	यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)





	राठ में - 12 किमी०	हां	—	नहीं है।	—	—	12 किमी०
19	शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)						
	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ज्ञाप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ज्ञाप आऊट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)		
A	प्राथमिक विद्यालय		387	—	—		
	कम्पोजिट (1-8)यू.पी.एस जराखर	1895	—	—	—		
B	जू० हाई स्कूल	1580	29	—	—		
	यू.पी.एस जराखर	—	—	—	—		
C	प्राइवेट इंटर हाई स्कूल	—	—	—	—		
D	अन्य संस्थान	—	—	—	—		
1-	देशरानी डिग्री कालेज	—	—	—	—		
2-	मेहरबान डिग्री कालेज	—	—	—	—		
20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु		
	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—		

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति खराब (2), घटिया (3), अच्छा (1), सबसे घटिया (4)
	राठ - उरई	1 - राज्यमार्ग	11 किमी०	2 (खराब)
	—	—	—	—

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
a	वन का क्षेत्र	—



b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	—		
c	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	—		
d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	—		
e	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	—		
f	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	—		
23 अन्य भूमि का वर्गीकरण				
a	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	लगभग 11 हेक्टेअर		
b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	—		
c	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां	नहीं ✓	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	—		
	अतिरिक्त सूचनाएं	—		
24 जल निकाय क्षेत्र				
	विवरण	हां	नहीं	
a	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	✓		
b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	4		
c	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	✓		
d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	5 वर्ष		
e	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	हां		
25 जल आपूर्ति				
a	ग्राम पंचायतमें घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल—(2) भूमिगत जल—(3) तालाब/झील—(4) अन्य— (5)	— ट्यूबवेल आधे गांव के लिए 1 बोर है 1 बोर खराब है।		
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बरहमासी		





c	<p>घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है?</p> <p>पाइप जलापूर्ति (1)</p> <p>ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2)</p> <p>पानी टंकी (3)</p> <p>महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4)</p> <p>हैण्डपम्प (5)</p> <p>ऊँचा सतही जलाशय (6)</p> <p>कूआ (7)</p> <p>अन्य (8), उल्लेखित करें।</p> <p>अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?</p>	<p>—</p> <p>1 पाइप जलापूर्ति</p> <p>—</p> <p>210</p> <p>—</p>
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	468 घर
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक
f	<p>पाइप जलापूर्ति की नियमितता</p> <p>24×7 घण्टे(1)</p> <p>काफी नियमित (2)</p> <p>अनियमित (3)</p>	काफी नियमित
g	<p>ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है?</p> <p>नहर (1)</p> <p>वर्षा जल (2)</p> <p>भूमिगत जल – (नलकूप (3A), कूआ (3B))</p> <p>तालाब/झील (4)</p> <p>पानी टैंक (5)</p> <p>नदी (6)</p> <p>अन्य (7)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>कुआं –10–12 निजी ट्यूबवेल</p> <p>—</p>
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	मौसमी
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/ अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक
j	<p>अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू, कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है)</p> <p>क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया?</p>	घट गया



	क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	
--	--	--

IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
a	गर्मी के माह में देखा गया	गर्मी ज्यादा पडने लगी 6 माह		
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		✓	□	□
c	दिनों की संख्या	90 दिन लगभग		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	तेज गर्मी		
27				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		□	✓	□
c	दिनों की संख्या	25 दिन लगभग		
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	-		
28				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		□	✓	□
c	दिनों की संख्या	-	25	-
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	लगातार वारिश नहीं होती है।		
29				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		-	✓	□
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		□	✓	
c	दिनों की संख्या	-	20 दिन	-



d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं		
		—	✓	□		
e	दिनों की संख्या	5	—	—		
f	अन्य सूचनाएं/जानकारी	—				
चरम मौसम की घटनाएं						
30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		✓	✓	✓	✓	✓
b	किस माह में सूखा देखा गया	जुलाई	जून-जुलाई	जुलाई	सितम्बर	सित0, अक्टू0
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन चारा आदि की व्यवस्था पहले से करनी होती है			कृषि स्तर पर प्रबन्धन अतिरिक्त सिंचाई करनी पड़ती है।	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं	—	—
		✓	□	□	—	—
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	—				
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना नहीं होती है	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		□	□	□	□	□
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	—	—	—	—	—
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं	—	—
		□	□	□	—	—
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	—				
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)



	नहीं	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	-	-	-	-	-
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं	-	-
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	-	-	-	-	-
33 ओलावृष्टि						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई	-	-	-	फरवरी	-
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर सरकारी सहायता			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं	-	-
		<input type="checkbox"/>	-	✓	-	-
34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		✓	✓	✓	✓	✓
	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	खरीफ (सितम्बर, अक्टूबर) रबी (जनवरी, फरवरी)	खरीफ (सितम्बर, अक्टूबर) रबी (जनवरी, फरवरी)	खरीफ (सितम्बर, अक्टूबर) रबी (जनवरी, फरवरी)	खरीफ (सितम्बर, अक्टूबर) रबी (जनवरी, फरवरी)	-
b	किस प्रकार के टिड्डी कीट/बीमारी को देखा गया?	माहू, थ्रिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में	माहू, थ्रिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया,	माहू, थ्रिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं	माहू, थ्रिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं	माहू, थ्रिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं



		फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग पीला मोजेक	सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग पीला मोजेक	विषाणुजनित रोग पीला मोजेक	विषाणुजनित रोग पीला मोजेक	विषाणुजनित रोग पीला मोजेक
c	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	बेतर				
d	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		✓	□	□	—	—
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं	—	—	—	—	—

35	ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी				
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध है?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
	आपदा तैयारी के उपाय	हां	नहीं	हां	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	□	✓	□	□
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	□	✓	□	□
	पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	□	✓	□	□
	आपातकाल अनाज बैंक	□	✓	□	□
	अन्य	□	✓	□	□

36	अनाज भण्डारण				
a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?				
	अनाज (विवरण दें)	—			
	तेल	—			
	चीनी	—			
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	—			



	b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	—
37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत		
	स्थानीय कृषि अधिकारी	—	
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	समाचार पत्र	
	मोबाईल फोन/एप	मोबाईल फोन द्वारा	
	मौखिक	मौखिक	
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	—	
	पशुपालन विभाग	—	
	उद्यान विभाग	—	
	अन्य	—	

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)

38	फसल हानि					
a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी(2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम— गर्मी, टण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु0)
	प्रथम वर्ष (2022)	—	उर्द, मूँगफली, चना, सरसों	पीला मोजेक बोरर माहूँ तना छेदक	2 क्वंटल/बीघा 1 क्वंटल/ बीघा	उर्द—7000—10000/बीघा चना—4200 /बीघा सरसों—3000/बीघा
	द्वितीय वर्ष (2021)	—	—	—	—	—
	तृतीय वर्ष (2020)	—	—	—	—	—
	चतुर्थ वर्ष (2019)	—	—	—	—	—
	पंचवां वर्ष (2018)	—	—	—	—	—
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां सबको नहीं	नहीं	—	—	—



		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी- बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	-	-	-	-	-
39 फसल पद्धति में बदलाव						
a	सामान्य फसल	खरीफ	श्रबी	जायद/अन्य ऋतु		
b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण	
	उर्द	जून-जुलाई	15 दिन से 1 माह लेट	जुलाई लस्ट सप्ताह	अनियमित मौसम	
	मूंग	जून-जुलाई	15 दिन से 1 माह लेट	जुलाई लस्ट सप्ताह	अनियमित मौसम	
	मूंगफली	जून-जुलाई	15 दिन से 1 माह लेट	जुलाई लस्ट सप्ताह	अनियमित मौसम	
	चना	अक्टूबर-नवम्बर	15 दिन से 1 माह लेट	नवम्बर	अनियमित मौसम	
	मटर	अक्टूबर-नवम्बर	15 दिन से 1 माह लेट	नवम्बर	अनियमित मौसम	
	सरसों	अक्टूबर-नवम्बर	15 दिन से 1 माह लेट	नवम्बर	अनियमित मौसम	
c	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें)	-				
40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन						
a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया/एकड़)	पूर्व में सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया/एकड़)	
		1 2 3	500 रु/बीघा	-	400रु0/बीघा	



		4				
b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां	
		36	12	07	नहर द्वारा	
c	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है	-				
41 पशु पालन/पशुधन						
a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी :					
	डेयरी (1)	भैंस - 2093	-	-	-	-
	मुर्गी पालन (2)	मुर्गी - 436	-	-	-	-
	मत्स्य पालन (3)	किसान - 8	-	-	-	-
	सूअर पालन (4)	10	-	-	-	-
	मधुमक्खी पालन (5)	-	-	-	-	-
	अन्य- स्पष्ट करें (6)	बकरी - 20 किसान	-	-	-	-
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	1,2	15	गला,घोटू,लंपी,आयु वृद्धि	सर्दी	कमी - 2
	द्वितीय वर्ष(2021)	-	-	-	सर्दी	कमी - 2
	तृतीय वर्ष (2020)	-	-	-	-	-
	चतुर्थ वर्ष(2019)	-	-	-	-	-
	पंचम वर्ष(2018))	-	-	-	-	-
	अन्य जानकारी/सूचनाएं	-	-	-	-	-
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या	हानि के कारण	हानि के मौसम/ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1)



			(प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)			कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	1	-	-	-	-
	द्वितीय वर्ष(2021)	1	-	-	-	-
	तृतीय वर्ष (2020)	-	-	-	-	-
	चतुर्थ वर्ष(2019)	-	-	-	-	-
	पंचम वर्ष(2018))	-	-	-	-	-
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	-	-	-	-	-
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	-	-	-	-	-
	द्वितीय वर्ष(2021)	-	-	-	-	-
	तृतीय वर्ष (2020)	-	-	-	-	-
	चतुर्थ वर्ष(2019)	-	-	-	-	-
	पंचम वर्ष(2018)	-	-	-	-	-
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	-	-	-	-	-





V. कृषि व पशुपालन

42	a	प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी								खरपतवारनाशी			
				उर्वरक उपयोग			कीटनाशक उपयोग						
		फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/ मौसम	उपज (कु0)	उर्वरक के प्रकार? यूरिया, डी ए पी	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा0/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार Fungicide Herbicide	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
		मूंगफली	वर्षा ऋतु	6-7 कु0 प्रति एकड़	डी.ए.पी. / यूरिया	50 किग्रा0/ एकड़	वृद्धि	हां	250 मिली0/ एकड़	वृद्धि	हां	400मिली0/ एकड़	वृद्धि
		उड़द	वर्षा ऋतु	3-4 कु0/ एकड़	डी.ए.पी. / यूरिया	50 किग्रा0/ एकड़	वृद्धि	हां	250 मिली0/ एकड़	वृद्धि	हां	400मिली0/ एकड़	वृद्धि
		मूँग	वर्षा ऋतु	120 किग्रा0 से 150 किग्रा0	डी.ए.पी. / यूरिया	50 किग्रा0/ एकड़, 30 किग्रा0/ एकड़	वृद्धि	हां	250 मिली0/ एकड़	वृद्धि	हां	400मिली0/ एकड़	वृद्धि
		अरहर	वर्षा ऋतु	05 कु0 से 07	डी.ए.पी.	50 किग्रा0/ एकड़	वृद्धि	हां	250 मिली0/ एकड़	वृद्धि	हां	400मिली0/ एकड़	वृद्धि



			कु0 / एकड़										
	तिल	वर्षा ऋतु	2 से 3 कु0 / एकड़	डी.ए.पी. / यूरिया	50 किग्रा0 / एकड़, 50किग्रा0 / एकड़	वृद्धि	लां	250 मिली0 / एकड़	वृद्धि	हां	400मिली0 / एकड़	वृद्धि	
	गेहूँ	शरद ऋतु	22 से 23 कु0 / एकड़	डी.ए.पी. / यूरिया	100 किग्रा0 / एकड़, 135 किग्रा0 / एकड़.	वृद्धि	-	-	-	हां	400मिली0 / एकड़	वृद्धि	
	चना	शरद ऋतु	8 से 10 कु0 / एकड़	डी.ए.पी.	80 किग्रा0 / एकड़	वृद्धि	लां	250 मिली0 / एकड़	वृद्धि	हां	400मिली0 / एकड़	वृद्धि	
	मटर	शरद ऋतु	15 से 16 कु0 / एकड़	डी.ए.पी. / यूरिया	80 किग्रा0 / एकड़	वृद्धि	लां	250 मिली0 / एकड़	वृद्धि	हां	400मिली0 / एकड़	वृद्धि	
	मशूर	शरद ऋतु	9 से 10 कु0 / एकड़	डी.ए.पी.	80 किग्रा0 / एकड़	वृद्धि	लां	250 मिली0 / एकड़	वृद्धि	हां	400मिली0 / एकड़	वृद्धि	
	सरसों	शरद ऋतु	7 से 8 कु0 / एकड़	डी.ए.पी. / यूरिया	100 किग्रा0 / एकड़ ,80	वृद्धि	हां	250 मिली0 / एकड़	वृद्धि	हां	400मिली0 / एकड़	वृद्धि	



					किग्रा0 / एकड़								
	जौ	शरद ऋतु	18 से 20 कु0 / एकड़	डी.ए.पी. / यूरिया	100 किग्रा0 / एकड़ ,80 किग्रा0 / एकड़	वृद्धि	ळां	250 मिली0 / एकड़	वृद्धि	हां	400मिली0 / एकड़	वृद्धि	
	खरीफ				श्री								
	फसल का नाम	बोया गया क्षे0	उत्पादन प्रति एकड़	फसल का नाम	बोया गया क्षे0	उत्पादन प्रति एकड़							
	मूंगफली	464 हे0	07 से 08 कु0 / एकड़	चना	216 हे0	8 से 10 कु0 / एकड़							
	उड़द	217 हे0	03 से 04 कु0 / एकड़	मटर	442 हे0	15 से 16 कु0 / एकड़							
	मूंग	22 हे0	120 किग्रा0 से 150 किग्रा0	गहूँ	413 हे0	22 से 23 कु0 / एकड़							
	अरहर	17 हे0	05 कु0 से 07 कु0 / एकड़	सरसों	80 हे0	7 से 8 कु0 / एकड़							
	तिल	126 हे0	2 से 3 कु0 / एकड़	मसूर	142 हे0	9 से 10 कु0 / एकड़							
	-	-	-	जौ	50 हे0	18 से 20 कु0 / एकड़							



	b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक हैं?
		-	-	-	-	-	-	-



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां										
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रु0/कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित/सत्यापित						
Nil	-	-	-	-						
44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)										
फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिचंग, फसल चक्र, अन्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)				क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रुपया)				
मूंगफली	गौशाला से गोबर की खाद द्वारा				04 एकड़	120000.00				
चना	गौशाला से गोबर की खाद द्वारा				02 एकड़	75000.00				
-	-				-	-				
45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां										
पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6)- उल्लेख करें	मोनोक्लचर (1), मिश्रित प्रजाति (2)	रोपित प्रजातियां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाम में वृद्धि (1), लाम में कमी (2), प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)- उल्लेख करें
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
	पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन प्रति माह
	गाय (देशी नस्ल)	396	चराई, पशुआहार	3000 प्रति पशुधन आय
	गाय (संकर नस्ल)	—	—	—
	भैंस (देशी नस्ल)	723	चराई, पशुआहार	12000 प्रति पशुधन आय
	भैंस (संकर नस्ल)	—	—	—
	बकरी	543	—	8-10 हजार प्रति विक्रय पशुधन आय
	सुअर	100	—	5000
	मुर्गी	15 फार्म	—	1200/- प्रतिदिन अण्डे
	मत्स्य	3 परिवार	—	—
	अन्य	300 भेड	—	6000-8000 प्रति माह

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पियजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त	—	—	—	—
		✓	□	—	—	—	—
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य	—	—	—
		□	□	✓	—	—	—
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	—
		□	□	□	□	□	—
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		□	□	✓	□	□	□



48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	घरेलू कचड़ा	2 किलो	—	—	—	—
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	गाड़ी से	—	—	—	—	—
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input checked="" type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन	—	—	—
		हां	नहीं		—	—	—
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति	2 किमी0	—	—
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—	—
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> नहीं	—	—	—	—
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	—	<input checked="" type="checkbox"/>	—
49 खुले में शौच मुक्त स्थिति							
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं	—	—	—	—
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—	—
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रमुख स्थान – गौशाला के पास	—	—	—
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ					
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	हाँ					
50 अपशिष्ट जल		घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला	
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	20 ली0 प्रति परिवार	—	—	—	—	
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो—	—	—	—	—	—	



d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा									
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)					
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-					
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-					
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-					
d	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-					
e	आशा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-					
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-					
g	डिजीटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-					
52 रोग/बीमारी									
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	489	137	68	23	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
b	जल-जनित रोग (हैजा/डायरिया/टाईफाईड/हैपेटाइटिस आदि)	62	22	11	26	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
c	श्वस सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	17	24	19	12	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
d	कुपोषण	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	753
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	-





	ए0सी0	4 लोग	
	एयर कुलर	127	
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	42	
	इनवर्टर	16	
54	विद्युत कटौती की आवृत्ति		
a	दिन में कुछ बार	24 घंटे में 4 घंटे नहीं होती	
	दिन में एक बार	—	
	विद्युत कटौती नहीं	—	
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	2-2 घंटे	
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	—	
55	वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?		
	दिन में कुछ बार	—	
	दिन में एक बार	—	
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं	200-220 वोल्टेज	
56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या	
	डीजल चलित जेनरेटर	—	
	सौर उर्जा	40-45	
	इमरजेंसी लाईट	—	
	इन्वर्टर	16	
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	—	
57	नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत		
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	07 परिवार	—
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	1	3 किलोवाट



	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	नहीं	—	
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	नहीं	—	
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	नहीं	—	
	सौर स्ट्रीट लाइट	10	—	
	बायोगैस	नहीं	—	
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	नहीं	—	
	b क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	नहीं	—	
58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)	
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	125	—	
	बायोगैस	नहीं	—	
	एलपीजी गैस	723	—	
	विद्युत	753	—	
	सौर उर्जा	07	—	
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	—	—	
59	वाहन की संख्या			
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप	3	डीजल	—
b	कार	9	डीजल	—
c	दो पहिया वाहन	716	पेट्रोल	—
d	विद्युत चालित वाहन	—	—	—
e	आटो	2	पेट्रोल	—
f	ई-रिक्शा	10	लाइट	—
g	अन्य	—	—	—



60		कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)						
a		टैक्टर	703	डीजल	—						
b		कम्बाईन हारवेस्टर	2	डीजल	—						
c		अन्य (कृपया उल्लेख करें)	—	—	—						
61		ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)									
		ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)						
					टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा
a		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62		औद्योगिक इकाई									
		उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)			उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)				
		—	—	—			—				



अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत – जराखर

क्षेत्र पंचायत – गोहाण्ड

जनपद – हमीरपुर (उ०प्र०)

2023–24

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विप्लेषण

जलवायु परिवर्तनशीलता – प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/ झटके एवं तनाव –

ग्राम पंचायत जराखर में सभी मौसम, सर्दी, गर्मी, एवं वर्षात का प्रभाव रहता है। 20 वर्ष पूर्व सर्दी नवम्बर माह से फरवरी-मार्च तक पड़ती थी किन्तु अब सर्दी देर से शुरू हो रही है, दिसम्बर माह में सर्दी शुरू हो जाती है और जनवरी के बाद ही समाप्त हो जाती है। पहले बरसात जून माह से सितम्बर माह तक एक दो दिन के अंतर पर होती रहती थी, अक्टूबर में भी बारिश हो जाती थी। किन्तु वर्ष 2015 में बरसात के मौसम में मई-जून में बारिश हुई ही नहीं और जुलाई माह में एक-दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई लेकिन 2020 से जुलाई के तीसरे और चौथे सप्ताह में वर्षा होती है फिर भी कई दिनों तक बारिश नहीं हुई जिससे सूखा जैसी स्थिति बन गई थी। खेती-किसानी करने वाले लोगों से पता चला कि आज से 20 वर्ष पहले खरीफ की फसल में लोगों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 2022 में खरीफ की फसल में अनियमित वर्षा का प्रभाव पड़ा है जिससे खरीफ की फसल अब बहुत कम क्षेत्र में होती है तथा बार-बार सिंचाई करना पड़ती है। गांव के लोगों ने बताया कि पहले गर्मी मई-जून से लेकर अगस्त तक होती थी। किन्तु अब गर्मी 15 मार्च के बाद से सितम्बर तक रहती है।

विभिन्न प्रक्रिया के तहत पीआरए विधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न टूल्स के माध्यम से सम्पादित की गई गतिविधियों से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा खतरा जोखिम प्रोफाइल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया। आपदा-खतरा जोखिम प्रोफाइल से संबंधित सूचनाएं निम्नवार हैं –

1. गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथमिकीकरण

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृतरूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया जिनसे उनकी प्रतिदिन के कार्यों में बच्चों की शिक्षा, परिवार की आजीविका, महिलाओं का स्वास्थ्य, एवं पेयजल एवं घरेलू साफ सफाई एवं महिलाओं पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। समुदाय से चर्चा के आधार पर आपदाओं का संकलन किया गया, संकलन के आधार पर सबसे अधिक प्रभावित आपदा सूखा एवं बे मौसम बरसात वरीयता क्रम में निकल कर आयी। इसके आधार पर एक सूची तैयारी की गई एवं सभी आपदाओं का विश्लेषण किया गया।

आपदा का इतिहास एवं क्षति

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृतरूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया जिनका अब तक व्यापक प्रभाव समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ा है और जिनकी क्षति अभी तक लोग भूल नहीं पाए हैं। ग्राम जराखर में वर्ष 1887 के लगभग इस गांव में भयानक आग लगी जिससे पूरे गांव की जनधन एवं पशुओं की हानि हुई थी इसके बाद इस गांव का पुनः निर्माण हुआ तब से इस गांव को जराखर के नाम से जानने लगे।

विस्तृत विवरण संलग्नक – 04 में देखें।

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएं ग्राम पंचायत जराखर को प्रभावित करती है –

आपदा का नाम	जन0	फर0	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
सूखा												
लू												
शीत लहर												
ओला												
आंधी तूफान												
बे मौसम वर्षात												

आपदा का ऐतिहासिक मानचित्रण, मौसमी कैलेंडर बनाने से एवं उस दौरान समुदाय से हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि कम दिनों में अधिक वर्षा, कम वर्षा के दिनों की संख्या में वृद्धि तथा अधिक तापमान पहुंचने से बहुत सारी समस्याओं का सामना गांव को करना पड़ रहा है।

सूखा इस ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या है। जो प्रत्येक वर्ष समुदाय के खेती एवं मजदूरी को पूरी तरह प्रभावित करती है। साथ ही मई-जून में अत्यधिक गर्मी का पड़ना, सामान्यतः मानसून के दिनों में जून-जुलाई में वर्षा का न होना, कम होना आदि सूखा पड़ने के संकेत विगत कई वर्षों से प्रतीत हो रहे हैं जिसका दूरगामी प्रभाव सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन एवं चारे का संकट बनकर पूरे वर्ष झेलना पड़ रहा है। पिछले 10 वर्षों से प्रत्येक वर्ष खरीफ की फसल सूखे से प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रबी की फसल में ओला वृष्टि, वर्षा, तेज गर्मी के कारण कम पैदावार की संभावना भी बहुत अधिक बनी रहती है। शीतलहर से पशुपालन मुख्यतः बकरीपालन प्रभावित हो रहा है, अर्थात् बकरियों का बहुत नुकसान होता है।

2. जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन –

उपरोक्त आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान, संभावित जोखिम, समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित समुदाय, संसाधन आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। यह जानकारी समुदाय के सभी वर्गों महिला, पुरुष, दलित एवं वंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त की गयी है।

आपदाओं का ग्राम पंचायत जराखर के पर्यावरण, एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानवजीवन, आजीविका, एवं स्वास्थ्य आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सूखा, शीतलहर एवं लू आदि आपदाओं का जराखर ग्राम पंचायत के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों पर इनके विभिन्न प्रकार से जोखिम की संभावना बनती है। इसे गांव के लोगों ने माना है कि जोखिमों से उन्हें प्रतिवर्ष तरह-तरह के नुकसान सहना पड़ता है जो निम्न प्रकार है-

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं

क्र. सं.	आसन्न आपदा / खतरे	संभावित जोखिम का क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1.	सूखा	पेयजल	पेयजल संकट, बीमारी बढ़ी।	सम्पूर्ण गांव	सभी परिवार	तालाब, समस्त हैण्डपम्प, कुआ सूख जाना।
		कृषि	खाद्यान्न संकट, फसल बुवाई न हो पाना	सम्पूर्ण गांव	सभी परिवार	36 हेक्टेअर भूमि में फसल की बुवाई का न हो पाना। रोजगार का संकट। उत्पादन में कमी।
		उद्यान/सब्जी उत्पादन	सिंचाई की लागत अधिक होना	सम्पूर्ण गांव	सभी परिवार	पेड़ पौधों का सूखना। सब्जी उत्पादन क्षेत्र में कमी।
		पशुपालन	जानवरों को चारा का संकट, विभिन्न प्रकार की बीमारियां दुग्ध उत्पादन में कमी होना	गाय, भैंस एवं बकरी पालक	350 घर	चरागाह
2.	आगजनी		पशु का नुकसान, जंगल नष्ट होना, पशुचारा, वन आधारित आजीविका लकड़ी का अभाव।	सम्पूर्ण गांव	प्रभावित घर	खाद्यान्न संकट
3.	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं पशुओं को लू लगने से स्वास्थ्य खराब होना। टीकाकरण में बाधा।	सम्पूर्ण गांव	बच्चे एवं बुजुर्ग	स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होना। पेयजल संकट एवं चारा का सूख जाना।
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होना।	सम्पूर्ण गांव	163 बच्चे	शिक्षा बाधित होना।
4.	कोरोना		स्वास्थ्य हानि, जन हानि	सम्पूर्ण गांव	—	—
5.	शीत लहर	स्वास्थ्य	मनुष्यों एवं पशुओं ठण्ड लगना।	सम्पूर्ण गांव बुजुर्गों	561 घर बुजुर्ग एवं बच्चे	शीतलहर के प्रकोप से मानव के स्वास्थ्य में हानि

				की बीमारी में वृद्धि		
		कृषि	शीतलहर से फसलों को नुकसान	सम्पूर्ण गांव	789 घर	खेत
		पशुपालन	पशु क्षति एवं बीमारियों का प्रकोप	सम्पूर्ण गांव	142 पशुपालक घर	प्रत्येक वर्ष 60-70 बकरियों की मृत्यु। 04 से 06 भैसों की मृत्यु। 10 से 15 गायों की मृत्यु
6.	ओलावृष्टि	मानव स्वास्थ्य एवं पशुओं का घायल होना	छोटे बच्चे, वृद्ध जन, महिलाओं के गिरने से चोट लगने का खतरा। जानवरों का घायल होना।	सम्पूर्ण गांव	236 घर	कच्चे घरों का क्षतिग्रस्त होना एवं फसलों का नष्ट होना।

आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव

इस क्षेत्र के आजीविका का मुख्य साधन कृषि, कृषिगत मजदूरी एवं पशुपालन है। सूखा के दौरान आजीविका हेतु लोग पलायन करते हैं। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जिससे संबंधित सूचनाएं संकलित कर संलग्न की गई है।

विस्तृत विवरण संलग्नक -05

नाजुकता विश्लेषण

आपदाओं का बार-बार सामना करने से उससे प्रभावित समुदाय सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। समुदाय एवं ग्राम पंचायत को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में कमजोर समुदाय, तथा सीमित संसाधन, जोखिम पूर्ण स्थल आदि को जानना अति आवश्यक था। इसे जानने के लिए पुनः समुदाय, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, समुदाय के बुजुर्गों की मदद से कमजोर वर्ग, जाति, लिंग, उम्र, आय के आधार पर गांव में जोखिम पूर्ण स्थल, एवं आपदा के कारण प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत में स्थित संसाधनों एवं उनकी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

- गांव की मुख्य सड़क जो 12 किमी० दूरी पर राठ, उरई मुख्य सड़क से जुड़ी हुई है तथा पंचायत भवन तक सम्पर्क मार्ग है।
- शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं निजी विद्यालय भी सड़क किनारे किनारे है तथा गांव के मध्य में स्थित हैं इसका विकास ठीक ढंग से हुआ है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकलकर आया।
- जराखर से राठ गांव को जाने वाली सड़क इसके पहले खराब थी अभी हाल ही में डामरीकरण हुआ है।

सूखा

समुदाय के साथ चर्चा से यह तथ्य निकल कर आया कि सूखा गांव की पहली बड़ी आपदा है। आज से 20 वर्ष पहले वर्षा जून माह से सितम्बर माह तक होती रहती थी, अक्टूबर में भी बारिश हो जाती थी। किन्तु अब वर्षा अनियमित और असमय होती है। विगत 6-7 वर्षों से बरसात के मौसम में जून में बारिश हुई ही नहीं और जुलाई माह में एक-दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई फिर कई दिनों तक बारिश नहीं

हुई। इससे सूखा जैसी स्थिति बन जा रही है। सूखे की स्थिति में निम्नलिखित गतिविधियां और वृद्धि कर रही हैं।

- गांव के खेतों में मेड़बन्धी जैसी जलसंरक्षण की गतिविधियों की कमी है।
- गांव में बाग-बागीचा नहीं के बराबर है। कहीं-कहीं पर दो-तीन फलदार वृक्ष एवं नीम, पीपल आदि भी है जो सभी सामाजिक मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। निजी भूमि पर वृक्षों की संख्या बहुत कम है। यत्र-तत्र सागौन एवं आम और नीम के पेड़ लगे हैं।
- गांव में कुल 04 कुएं हैं, जो भूमिगत जलस्तर को दर्शाते हैं। इसमें से केवल 03 कुएं का पानी साफ है। शेष 01 कुएं का उपयोग ग्रामवासी नहीं कर रहे हैं अधिकांश जगह पर पाइप लाईन से सप्लाई मिल रही है। इसके अतिरिक्त 01 कुएं में पानी के साथ पालीथीन, गंदगी, खरपतवार, मिट्टी आदि से भरा हुआ है। परिणाम स्वरूप कुएं की जलधारण क्षमता प्रभावित हो रही है।
- वृक्षारोपण, पौधरोपण का अभाव है। सड़कों के किनारे, खेतों के मेड़ों पर कृषि व सामाजिक वानिकी का अभाव है।
- खेतों में केवल रसायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है।

सूखा का समुदाय पर प्रभाव

- पेयजल प्रभावित हुआ है। गर्मी के दिनों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प पेयजल सप्लाई के द्वारा सूखे के समय में भी ग्रामवासियों को पेयजल की सुविधा बनी रहती है सामान्यतः सभी जल स्रोतों का जलस्तर नीचे चला जाता है एवं पेयजल की कठिनाई पैदा हो जाती है।
- सूखे के प्रभाव से खरीफ एवं रबी की फसल में सिंचाई की लागत बढ़ गई है। वर्ष 2022 में जुलाई के अन्तिम सप्ताह में वर्षा हुई इसके बाद खरीफ की फसल की बुवाई हुई और जब फसल अक्टूबर के माह में तैयार हो रही थी उसी समय ओलावृष्टि के कारण फसल नष्ट हुई जिसमें 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी। इस गांव का 36 हे0 खेती का रकबा/उपज सूखे से प्रभावित हो जाता है।
- जानवरों को चारा का संकट हो जाता है साथ तापमान बढ़ने से पशुओं को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।

लू

लू गांव को प्रभावित करने वाली आपदा है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकल कर आया कि गर्मियों के दिनों में 15 मई से 15 जून तक तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है व गर्म हवाएं चलने लगती हैं। इससे समुदाय के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव एवं पशुओं को लू लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है।

शीतलहर

शीतलहर भी गांव को प्रभावित करने वाली आपदा है। सर्दियों के मौसम में 15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहता है। शीतलहर मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य के साथ कृषि को भी प्रभावित करता है।

शीतलहर के प्रभाव से प्रत्येक वर्ष पशुपालन पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। शीतलहर में ठण्डी से औसतन प्रत्येक वर्ष 40-50 पशुओं की मृत्यु हो जाती है। गाय-भैंसों के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। शीतलहर के कारण कृषिकार्य, मजदूरी, आदि आजीविका प्रभावित होती है। बच्चों में निमोनिया, खांसी एवं दस्त की समस्या हो जाती है। फसलों पर मुख्यतः दलहन एवं सब्जी पर पाले का प्रभाव पड़ता है, परिणामस्वरूप

पौधों की बढ़वार थम जाती है, फसल सूख जाती है। कीट एवं माहु का प्रकोप बढ़ जाता है। ईंधन हेतु महिलाओं को अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं ढाचागत संरचना में कमियां हैं जो कि निम्नवार हैं –

- गांव में समुदाय आधारित संस्थाओं की कमी है। कृषि केन्द्र, बीज केन्द्र, किसान संगठन, सामुदायिक अनाज बैंक, युवा मण्डल दल, महिला मण्डल, धार्मिक मण्डल, आदि सामाजिक संगठन की कमी है। इस कारण आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं बाह्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है।
- लोगों में जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है, लोगों को कृषिगत, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव है। जिससे समुदाय पर बाहरी निर्भरता बढ़ जाती है। लोग पशुपालन तो करते हैं, किन्तु नस्ल सुधार, पशुओं का बीमा, फसल बीमा आदि की जानकारी न के बराबर है।
- वैकल्पिक एवं सौर ऊर्जा संबंधित गतिविधियां नहीं हैं। यहां 80 प्रतिशत से अधिक घरों पर पक्की छत है। जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। सड़क के किनारे प्रकाश हेतु एवं सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा के प्रयोग की प्रबल संभावना है।
- गांव में सूखा एवं गीला कचरा एक साथ ही इकट्ठा होकर गलियों, सड़कों एवं खड़न्जा आदि के किनारे पड़ा रहता है। लोगों में कचरा प्रबंधन की जागरूकता का अभाव है। परिणामस्वरूप मानसून के दिनों में यह कचरा बहकर जल निकास तंत्र को बाधित करता है एवं गांव में गन्दगी की समस्या को बढ़ाता है।
- मानसून के दिनों में होने वाली बीमारियां जैसे – मलेरिया, डायरिया, मच्छर-मक्खियों जनित बीमारियों की आशंका बनी रहती है।
- गांव में अधिकांशतः मुख्य फसलें उड़द, तिल, मूंगफली, मूंग, एवं गेहूँ सरसों, चना, मटर, मसूर ही उगाते हैं। खेती में विविधता, मिश्रित खेती, एवं मिश्रित फसलों एवं कम लागत, स्थाई कृषि आदि संबंधित गतिविधियां नहीं हैं। जिससे किसानों को आपदा के समय जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- कृषिगत गतिविधियों में उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।
- गांव में गाय, भैस, आदि पशुपालन होने के बावजूद भी गोबर का प्रयोग जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद बनाने हेतु नहीं करते हैं बल्कि सड़कों के किनारे ढेर लगाकर रखा रहता है या कण्डे के रूप में प्रयोग करते हैं।
- कृषि परामर्श एवं मौसम पूर्वानुमान का अभाव है। जिसके कारण समय पूर्व सूचना एवं जानकारी नहीं मिलती है।
- गांव में जनसुविधा केन्द्र खुल गया है लेकिन ग्राम वासी विभिन्न प्रकार की जानकारीयों से वंचित है।
- ग्राम स्तर पर लघु/सूक्ष्म उद्योग, पारम्परिक रोजगार में कमी, जैसे गांव में घड़े बनाना, रस्सी बनाना, लोहार, बढ़ई, डलिया बनाने का काम कम हो गया है।

4. क्षमता विश्लेषण

- आपदाओं के सन्दर्भ में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से गांव स्वयं में कितना सक्षम है, इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता आकलन किया गया। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आपदाओं एवं खतरों से गांव के साथ ही आसपास उपलब्ध संसाधन भी

प्रभावित होते हैं। यह संसाधन भौतिक, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनकी पहचान होने से आपदा के खतरों से निपटने में आसानी होती है अर्थात् यह संसाधन मददगार होते हैं।

- ग्राम पंचायत जराखर राठ, उरई राजमार्ग से 12 किमी० पश्चिम की ओर स्थित है, जिला मुख्यालय से 90 किमी० होने के कारण विकास के सभी कार्यों के लिए हमीरपुर या विकासखण्ड गोहाण्ड जाना पड़ता है। इस गांव में ग्रामीणों की सुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय, बच्चों के शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय, एक निजी विद्यालय है। लोगों के आवागमन हेतु गांव में खड़न्जा, इन्टरलॉकिंग मुख्य सड़के हैं। ग्राम पंचायत जराखर में अधिकांशतः लगभग 90 प्रतिशत घर पक्के मकान हैं। इन्हीं मुख्य सड़कों के बीच में जल निकासी हेतु नालियां बनी हैं, कई स्थानों पर सड़क भी टूटी हुई है जिसके कारण वर्षा के दिनों में आवागमन में समस्या होती है। इस कारण जलनिकासी भी बाधित है। क्यों कि नालियों में अधिकांशतः कूड़ा/कचड़ा डाल दिया जाता है गांव के मध्य में पार्क है जिसके पास में तालाब है पर उसमें कचरा भरा होने के कारण पानी गंदा है। और नालियां गांव के तालाबों से जुड़ी हुई हैं। सुरक्षित पेयजल हेतु पंचायत भवन के पश्चिम तरफ एक पानी की टंकी है जिससे आधे गांव में पानी की सप्लाई है। गांव में सामुदायिक जल आपूर्ति हेतु 138 टॉटी भी है। घरों में भी पानी की सप्लाई है। इसके साथ ही आधे गांव में ग्रामप्रधान द्वारा जानकारी दी गयी कि दूसरे बोर के पानी की आपूर्ति हेतु प्रस्ताव दिया गया है हैण्डपम्प भी पेयजल हेतु गांव में उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत में कुल छोटे-बड़े चार तालाब हैं। जिसमें से शिव मंदिर के पास के तालाब पर अमृत सरोवर बनाने का कार्य चल रहा है। गांव में आम, अमरूद, महुआ, नीम आदि के वृक्ष हैं तथा उनसे लोग फल पत्ती आदि निजी उपयोग के लिए प्राप्त कर लेते हैं।

संगठन के तौर पर ग्राम पंचायत में 15 स्वयं सहायता समूह गठित हैं इनकी बैठकें एवं क्रिया कलाप नियमित चल रहे हैं तथा सभी ने बैंक से ऋण आदि प्राप्त करके स्वरोजगार के कार्य शुरू कर दिए। इस गांव में पराली जलाने के बारे में समुदाय से चर्चा की गयी जिसमें लोगों द्वारा जानकारी दी गयी कि यहां चारे की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है जिससे फसल के अवशेषों को भूसे के रूप में प्रयोग करते हैं इसलिए यहां के किसान फसल अवशेषों को जलाते नहीं हैं।

सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गये आंकड़े एवं तथ्य

- विशेषकर संसाधनों के सन्दर्भ में किये गये क्षमता आकलन को तीन भागों में विभक्त किया गया, जिसमें गांव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों को सामाजिक मानचित्रण एवं सुविधा मानचित्र पर अंकित किया गया, जबकि मानव संसाधन के बारे में समुदाय के साथ चर्चा कर सूचनाएं प्राप्त की गयीं, जो निम्न प्रारूप पर दर्ज है –
- भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी

विवरण	कुल संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम, नम्बर	गांव की दूरी
अस्पताल सरकारी	1		12 किमी० राठ
अस्पताल प्राईवेट	2	ए.पी. राजपूत	0
स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र	1		02 किमी०
दवा की दुकान	—		01 किमी०
डाकघर	1		0 किमी०
एम्बुलेंस सेवा	1		06 किमी०
पुलिस थाना	1		10 किमी० मझगावां
फायर स्टेशन	—		—

स्कूल	2		—
सामुदायिक उप स्वास्थ्य केन्द्र	1		0 किमी०
पावर स्टेशन	1	राठ में	06 किमी०
पानी की टंकी	1		—
बस स्टॉप	1	राठ में	12 किमी०
विकास खण्ड	—	—	14 किमी०
सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकान	2	अजय पाल सिंह, मानिकचन्द्र	—
सरकारी बीज गोदाम	1	—	12 किमी० राठ

प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्र.सं.	संसाधन का नाम	संख्या	दूरी
1.	भौतिक संसाधन		
	● ग्राम पंचायत भवन/सामुदायिक केन्द्र	01	0 किमी०
	● चारागाह	00	01 किमी०
	● आंगनबाड़ी केन्द्र	04	0.5 किमी०
	● प्राथमिक विद्यालय	02	0.5 किमी०
	● जूनियर हाईस्कूल (कम्पोजिट)	01	0.5 किमी०
	● इण्टरमीडिएट कालेज	02	01 किमी०
	● प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	01	02 किमी०
	● मन्दिर	06	0.5 किमी०
	● डिग्री कॉलेज	02	02 किमी०
2.	पर्यावरणीय संसाधन (इनको संसाधन मानचित्र पर अवश्य अंकित करें।)		
	● ताल-तलैया	08	0.5 किमी०
	● कुआं	04	00
	● पोखरा	03	00
	● नदी	00	00
	● नाला	00	00
	● जंगल	00	00
	● कृषिगत क्षेत्र	1343 हे०	00
	● खुला क्षेत्र/सामुदायिक भूमि	68 हे०	0.1 किमी०
	3.	मानव संसाधन (इनके नाम व सम्पर्क नं० सहित सूची तैयार करें।)	
● डाक्टर		02	2 किमी०
● अप्रमाणिक डाक्टर		02	0.1 किमी०
● भूतपूर्व सैनिक		68	0.1 किमी०
● आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री		04	0.5 किमी०
● शिक्षक		16	0.5 किमी०

	● ग्राम पंचायत प्रतिनिधि	15	0.5 किमी०
	● युवक मंगल दल	01	0.5 किमी०
	● अन्य सामुदायिक संस्थाएं	03	0.5 किमी०
	● ए०एन०एम०/आशा	01	0.1 किमी०

आपदा के समय सुविधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सुविधाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इन सुविधाओं से समुदाय लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं और ये सुविधाएं समुदाय की पहुंच में हैं कि नहीं। संसाधनों से जुड़े तथ्यों की यह पूरी प्रक्रिया समुदाय की सहभागिता के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित होती है जिसका पूरा विवरण संकलित किया गया है।

वित्तीय संसाधन :

ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष 2022-2023 में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार होंगे।

क्रम.	मद का नाम	2021-2022 में प्राप्त आवंटित धनराशि	2022-2023 में अपेक्षित धनराशि (10 प्रतिशत वृद्धि के साथ)
1.	15 वां वित्त आयोग	160,0000 रू०	17,60000 रू०
2.	राज्य वित्त आयोग	70,0703 रू०	7,70,773.30 रू०
3.	मनरेगा	15,60000 रू०	17,16000 रू०

क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत जराखर जिला हमीरपुर की कार्य योजना का निर्माण

क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत जराखर की कार्य योजना बनाने हेतु ग्राम पंचायत का भ्रमण किया गया तथा ग्रामवासियों मुख्य पदाधिकारियों एवं बुजुर्गों एवं महिलाओं के साथ चर्चा की गई जिसमें ग्राम पंचायत की समस्याएं प्रमुख जोखिम तथा सूचनाएं प्राप्त हुईं तत्पश्चात सभी की सहमति से एवं ग्राम प्रधान की सहायता से निम्न कार्य योजना बनायी गयी।

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय (सामान्य एवं एस सी/एस टी)
1.	मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा-साफ-सफाई एवं स्वाच्छता	शौचालय निर्माण	50 नये निर्मित घरों में शौचालय निर्माण। पानी की कमी को ध्यान में रखते हुये सभी लक्षित घरों में शौचालय निर्माण करने के समय रूरल पैन एवं सोखा गढ़वा का ही निर्माण किया जाये।	लामार्थी का घर लगभग 50	प्रति परिवार शौचालय 20000	06 माह	एस0बी0एम0
2.		वर्मीकम्पोस्ट (20 यूनिट)	मिट्टी में नमी बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 20 वर्मीकम्पोस्ट पिट का निर्माण	20 लामार्थी का	04 लाख रू0	01 से 02 वर्ष	मन्रेगा/ग्राम निधि
3.		नाडेप कम्पोस्ट (20 यूनिट)	मिट्टी में नमी बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 20 नाडेप पिट का निर्माण	20 लामार्थी का	02 लाख रू0	01 से 03 वर्ष	मन्रेगा/ग्राम निधि
4.		हैण्डपम्प रिबोर एवं सोकपिट निर्माण 20 यूनिट	हैण्डपम्प का रिबोर करना एवं साथ में पानी को रोकने के लिए सोखा गढ़वा निर्माण	20 यूनिट रिबोर एवं सोकपिट	25 लाख	लगभग 02 से 03 माह	15 विल्ट आयोग

5.		04 बड़े सोखे	गांव के चारों दिशा में	01 यूनिट	10 लाख रु0	-	04 यूनिट
----	--	--------------	------------------------	----------	------------------	---	----------

6.	संरचनात्मक मुद्दे	3 तालाब गहरीकरण एवं सफाई	तालाबों को 05 फीट गहरा एवं तलहटी में 8 इंच काली मिट्टी की परत डालना ताकि पानी के सीपेज को रोका जा सके।	1- गांव के पूर्व में 2- गांव के मध्य में	45 लाख	लगभग 03 से 04 माह	मनरेगा/ग्राम निधि
7.		खेत तालाब निर्माण	आवेदनकर्ता किसानों के खेत में तालाब निर्माण	लाभार्थी का खेत - 05	11.25 लाख	लगभग 02 से 03 माह	मनरेगा
8.	01 पेयजल पर	टंकी एवं समरसेबिल	2 स्थानों पर समरसेबिल लगाकर टंकी का निर्माण	जल जीवन मिशन द्वारा कार्य चल रहा है।	45 लाख	06 माह	15 वित्त आयोग
9.	संरचनात्मक मुद्दे	पशु आश्रय स्थल	व्यक्तिगत स्तर पर पशु की क्षमता वाले पशु आश्रयस्थल का निर्माण	लाभार्थी का घर 50 पशु शेड	01 करोड़	लगभग 02 से 03 वर्ष	मनरेगा/ग्राम निधि /पशुपालन विभाग
10.	आय एवं रोजगार	भैंस एवं बकरी बाड़ा (20 यूनिट)	व्यक्तिगत स्तर पर 20 भैंस एवं बकरी बाड़ा का निर्माण	ग्राम पंचायत के विभिन्न 20	15 लाख	06 माह	मनरेगा

				परिवारों स्थानों पर			
11.	आय एवं रोजगार - 01 बीज बैंक	सूखा सहनीय बीजों एवं प्रजातियों की उपलब्धता	सूखा स्थितियों से निपटने हेतु सूखा सहनीय बीजों एवं प्रजातियों की उपलब्धता	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत के किसान के लिए 01 बीज बैंक	03 लाख	02 माह	कृषि विभाग से जुड़ाव
-	पशुचारा भण्डारण 01 यूनिट	30×10 फीट के 03 पशुचारा भण्डारण का निर्माण	स्थान में	03 लाख रुपए	03 माह	मनरेगा	-
12.	ऊर्जा एवं खाद निर्माण	बायो गैस	10	व्यक्तिगत	10 लाख रु0	-	मनरेगा
13.	01 लाख वृक्षारोपण	वृक्षारोपण	छायादार, फलदार एवं सूखा सहनशील वृक्षों का रोपण	ग्राम पंचायत की जमीन एवं किसानों की मेड़ एवं खेतों पर	30 लाख रु0	01 से 03 वर्ष	मनरेगा
14.	श्रोजगार	कुटीर उद्योग	सिलाई, अगरबत्ती, दोना पत्तल, ग्रह उद्योग	50 परिवारों को	10 लाख रु0	02 वर्ष	10 यूनिट
15.	स्वास्थ्य	व्यायाम शाला	गांव के बाहर सड़क पर	01 यूनिट	20 लाख	-	01 यूनिट
16.	-	कचड़ा निस्तारण केन्द्र	-	01 यूनिट	03 लाख	-	-
17.	ऊर्जा बचत	सोलर प्लेट	20 परिवार	20 जगह	50 लाख	01 वर्ष	नेडा

18.	श्रोजगार	डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट	50 किसान	01 यूनिट	50 लाख	-	दुग्ध विभाग
19.							

उपरोक्त कार्य की लागत गांव के अनुभवी निवासी एवं रोजगार मित्र तथा प्रधान जी के परामर्श से उल्लेखित की गई है।

क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत जराखर की विकास योजना के निर्माण की सहभागी प्रक्रिया वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत जराखर के लिए आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु गांव में एक महौल बनाने के लिए प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से दिनांक 09/02/2023 को ग्राम में सूचना दी गयी। सभी लोग दिनांक 12/02/2023 को पंचायत भवन में उपस्थित हो।

ग्राम सभा की खुली बैठक

दिनांक 12/02/2023 को ग्राम सचिवालय, जराखर में आयोजित ग्राम सभा की खुली बैठक में कुल 48 लोगों (पु0-26 ,महिला-17 ,विकलांग – 01, बच्चे – 04) ने भाग लिया, जिसमें गांव के मुख्य मुख्य व्यक्ति जैसे रिटायर्ड अध्यापक तथा कृषक महिलाएं, बिजली विभाग के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

विस्तृत संलग्न संख्या 01 पर देखें।

ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

पूरी ग्राम पंचायत जराखर का भ्रमण किया गया जिसमें ग्राम पंचायत का भौगोलिक दूरी लगभग 05 से 06 किमी0 है। ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण आबादी का भ्रमण किया गया।

विस्तृत विवरण संलग्नक –02

सामाजिक मानचित्रण

ग्राम के लोगो को समूह में बांटकर के चार्ट पेपर सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका प्रदर्शित है—

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहद्दी का क्षेत्रफल	17.334 हेक्टेअर	गांव की बसाहट का क्षेत्रफल मिलाकर
कुल वार्डों की संख्या	15	सम्पूर्ण गांव के वार्ड
कुल घरों की संख्या	998	सम्पूर्ण गांव
कुल पक्के घरों की संख्या	919	वार्डों के पक्के छत वाले मकान
कुल कच्चे घरों की संख्या	79	खपरैल एवं दीवार कच्ची
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	68	अन्त्योदय परिवार
विकलांग जनों की संख्या	58	11 महिला एवं 47 पुरुष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	63	सभी वार्ड
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	124	सम्पूर्ण गांव

जातिगत/श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	128
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	598
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	272
कुल घरों की संख्या	998

विस्तृत विवरण संलग्नक – 03 पर देखें

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत जराखर आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु गांव में एक माहौल बनाने के लिए प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से सभी वार्डों में दिनांक 12/02/2023 को ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित करने की सूचना दी गयी। पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार प्रत्येक वार्डों के लोग ग्राम पंचायत भवन पर एकत्र हुए।

खुली बैठक

दिनांक 12/02/2023 को ग्राम सचिवालय जराखर में आयोजित ग्राम सभा की खुली बैठक में कुल 48 लोग (पु0- 26 महिला- 17 बच्चे- 01 विकलांग- 04) ने भाग लिया। जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए वातावरण निर्माण की दृष्टि से आयोजित इस बैठक का प्रारम्भ करते हुए ग्राम प्रधान कमलेश कुमार राजपूत ने सर्वप्रथम उपस्थित समुदाय के सभी लोगो का स्वागत किया। तत्पश्चात

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना प्रत्येक वर्ष बनती है और उसके लिए खुली बैठक की जाती है। परन्तु इस बार हम जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने की बात कर रहे हैं अर्थात हम अपने ग्राम पंचायत में घटित होने वाली जलवायु जनित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने की बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें जलवायु परिवर्तन, आपदा से उत्पन्न समस्याएं, उन समस्याओं से निपटने के बारे में जानना आवश्यक होगा। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम उन कार्यों को भी अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल



करेंगे, जिससे आपदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। आगे उन्होंने यह भी कहा कि विगत वर्षों से सूखा उससे उत्पन्न समस्याएं जैसे खाद्यान्न संकट, पेयजल का संकट आदि बढ़ता जा रहा है। अतः हमें अपने नियमित कार्यों के साथ इन समस्याओं से निपटने के लिए भी एकीकृत कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता होगी।

हम सभी आज इसी बात के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं और योजना बनाने के लिए अगले दो-तीन दिन तक हम सब मिलकर के काम करेंगे। हम चाहते हैं कि गांव का प्रत्येक वर्ग चाहे वह बुजुर्ग हों, युवा हो, महिलाएं हों, दलित समुदाय हों, सबकी सहभागिता इस पूरी प्रक्रिया में बनी रहे ताकि हम अपने ग्राम पंचायत में होने वाली आपदाओं पर विस्तार से बातचीत करें और समस्याओं को सही ढंग से समझ पाएं। उसी के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना में कार्य के किए जाने की संभावनाएं तलाशी जाए तदानुसार कार्य योजना बनाई जाए। खुली बैठक के दौरान लोगों ने भी विगत दो दशकों में जलवायु में हो रहे बदलाव की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले जितनी वर्षा होती थी अब वह काफी कम हो गई है, पानी का स्तर नीचे चला गया है। पानी न होने की वजह से खेती किसानों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अंत में ग्राम पंचायत सचिव एवं वार्ड सदस्य द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए खुली बैठक को समाप्त किया

गया और आगे की प्रक्रिया के लिए गांव भ्रमण हेतु चलने की बात की गई ताकि गांव की वास्तविक स्थिति को प्रथम दृष्टया देख करके समझा जा सके।

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण –

नियोजन एवं विकास समिति	शिक्षा समिति	निर्माण कार्य समिति
1. कमलेश (प्रधान) – अध्यक्ष 2. महेन्द्र सिंह – सदस्य 3. जयराम – सदस्य 4. माधुरी – सदस्य 5. फूल सिंह – सदस्य 6. विक्रम सिंह – सदस्य	7. राजेश कुमार – अध्यक्ष 8. महेश – सदस्य 9. अतर सिंह – सदस्य 10. माधुरी – सदस्य 11. भगत सिंह – सदस्य 12. राजकुमार – सदस्य 13. विक्रम सिंह – सदस्य	14. विक्रम – सदस्य 15. महेश – सदस्य 16. जयराम – सदस्य 17. माधुरी – सदस्य 18. महेन्द्र – सदस्य 19. फूल सिंह – सदस्य 20. लवकुश – सदस्य
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति 21. महेश कुमार – सदस्य 22. भगत सिंह – सदस्य 23. अतर सिंह – सदस्य 24. माधुरी – सदस्य 25. विक्रम सिंह – सदस्य 26. राजेश कुमार – सदस्य 27. राजकुमार – सदस्य	जल प्रबंधन समिति 28. लवकुश – सदस्य 29. महेन्द्र सिंह – सदस्य 30. जयराम – सदस्य 31. माधुरी – सदस्य 32. विक्रम – सदस्य 33. राजेश कुमार – सदस्य	प्रशासनिक समिति 1. कमलेश – अध्यक्ष 2. भगत सिंह – सदस्य 3. अतर सिंह – सदस्य 4. माधुरी – सदस्य 5. विक्रम – सदस्य 6. राजेश कुमार – सदस्य 7. राजकुमार – सदस्य

ग्राम पंचायत सदस्यों का नाम –

क्र.सं.	नम	पिता/पति का नाम	मोबाईल संख्या
1.	कमलेश (प्रधान)	प्रकाशचन्द्र	9415532447
2.	जयराम अनुरागी	बालादीन अनुरागी	9956996169
3.	सीमावली	राजेश कुमार	—
4.	अतर सिंह	भगवानदास	6306825393
5.	विक्रम राजपूत	जागेश्वर	6386606429
6.	महेश कुमार	रामजीवन	8840766495
7.	सुनीता देवी	मोतीलाल	9519082552
8.	श्राजकुमार	कल्लू प्रसाद	8957064995
9.	फूलसिंह राजपूत	रामेश्वर	7388986559
10.	राजेश कुमार	तेजराम वर्मा	8604559661
11.	किरण वर्मा	राजेश कुमार	7426287448
12.	माधुरी राजपूत	अनिल कुमार राजपूत	8090262291
13.	लवकुश स्वदेशी	महिपाल	9532121606
14.	भगत सिंह	रामेश्वर	9984296812
15.	महेन्द्र सिंह	स्वामीदीन राजपूत	9369818437
16.	राकेश यादव	रामगोपाल यादव	9936721705

ट्रान्जेक्ट वॉक (ग्राम भ्रमण)

आपदा की दृष्टि से अपने गांव को जानने के लिए समुदाय द्वारा सभी वार्डों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान देखी गयी सूचनाएं निम्न प्रारूप पर दी जा रही है –

ट्रान्जेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियां—

<p>बसाहट</p>	<p>सम्पूर्ण गांव एक ही मजरे में बसा हुआ है। गांव का भ्रमण ग्राम पंचायत के पूर्व दिशा में स्थित रोड जो ग्राम पंचायत भवन के सामने से जाता है वहां से प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात हमारी टीम ग्राम के पशु चिकित्सालय के समीप स्थित मोहाल से होते हुए आगे बढ़े, आगे कुछ पक्के मकान हैं जहां बैठकर हमने गांव की जानकारी प्राप्त की। पुनः हमारी टीम और आगे बढ़ती हुई आंगनबाड़ी केन्द्र पहुंची यहां कुछ पुराने मकानों के खण्डहर है तथा एक ओर प्राथमिक स्कूल भी है हम पुनः आगे चलते हुए एक पतले रास्ते से होते हुए शिव मन्दिर के किनारे होते हुए अमृत सरोवर तालाब तक पहुंचे यहां कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है तथा यहां एक बड़ा मैदान भी है जहां सप्ताहिक बाजार लगता है। तत्पश्चात हमारी टीम रघुपति सहाय पुस्तकालय से होते हुए गांव के मध्य पहुंची यहां पक्के मकान एवं पक्की सड़क सहित गांव के बाहर के रोड तक गई है। गांव के रास्ते के किनारे 01 तालाब, 01 बारात घर एवं स्कूल स्थित है।</p> 
<p>तालाब एवं पार्क</p>	<p>गांव के अन्दर प्रवेश करते हैं एक तालाब जो कूड़ा, करकट एवं जल कुम्भी से भरा हुआ है। गांव के अन्दर मध्य में एक पार्क है जिसके दोनों ओर छोटे-छोटे पोखरे हैं पर उनमें कूड़ा, करकट एवं जलीय पौधों से ढका हुआ है गांव के मन्दिर एवं साप्ताहिक हाट के समीप अमृत सरोवर है जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है। बाहर बारात घर के किनारे स्थित तालाब का पानी भी सूख गया है तथा तालाब गंदगी से ढका हुआ है।</p>
<p>नाला एवं जल प्रवाह</p>	<p>गांव के अन्दर कोई नाला नहीं है पूर्व में तथा दक्षिण दिशा में तालाबों से नाला बाहर को जाता है। गांव में नालियां बनी हुयी है जिनसे निकला हुआ पानी गांव के तालाब, पोखरों में ही गिरता है। तथा तालाबों को गन्दा करता है।</p>
<p>भौतिक संसाधन</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. गांव के पूर्व की दिशा में सड़क किनारे पंचायत भवन बना हुआ है उसके उत्तर की दिशा में पानी की टंकी बनी हुयी है। 2. गांव के मध्य में पशु चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, एक प्राईमरी स्कूल स्थित है। 3. गांव के पश्चिमी निकास पर प्राईमरी स्कूल के पास के पास बारात घर है तथा पश्चिम की ओर डिग्री कॉलेज स्थित है। पूर्व से पश्चिम की ओर मुख्य सड़क है जिसके किनारे स्कूल एवं दुकान स्थित है।

	<p>4. गांव के पश्चिमी छोर से राठ की ओर जाने वाली सड़क पर एक बड़ा द्वार स्थित है तथा डिग्री कॉलेज बना है।</p> <p>5. ग्राम के दक्षिण में एक बड़ा तालाब है जो अमृत सरोवर बनाया गया है इसमें किनारे हाट बाजार लगता है।</p> <p>6. गांव में चार स्थानों पर पार्क है तथा अमृत सरोवर के किनारे एक सुन्दर पार्क एवं वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है।</p>
--	---

संलग्नक संख्या – 03

सामाजिक मानचित्रण

ग्राम पंचायत जराखर के बारे में एक सामान्य एवं आधारभूत जानकारियां समझ बनाने के लिए समुदाय की सहभागिता से सामाजिक मानचित्रण किया गया।

सामाजिक मानचित्रण के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि जराखर ग्राम पंचायत में कुल 998 घर है। जिसमें 16 प्रतिशत की आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है गांव में वर्तमान में 10 प्रतिशत खपरैल के मकान है।

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहद्दी का क्षेत्रफल	17.334 हेक्टेअर	गांव की बसाहट का क्षेत्रफल मिलाकर
कुल वार्डों की संख्या	15	सम्पूर्ण गांव के वार्ड
कुल घरों की संख्या	998	सम्पूर्ण गांव
कुल पक्के घरों की संख्या	919	वार्डों के पक्के छत वाले मकान
कुल कच्चे घरों की संख्या	79	खपरैल एवं दीवार कच्ची
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	68	अन्त्योदय परिवार
विकलांग जनों की संख्या	58	11 महिला एवं 47 पुरुष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	63	सभी वार्ड
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	124	सम्पूर्ण गां

जातिगत / श्रेणीगत विवरण


सामान्य जाति के घरों की संख्या	128
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	598
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	272
कुल घरों की संख्या	998

ग्राम पंचायत जराखर राठ से 12 किमी० पश्चिम दिशा में स्थित है। राठ से सीधे सड़क जराखर तक जाती है तथा सड़क से लगा हुआ गांव है। गांव में मुस्लिम, राजपूत(लोधी), यादव, कुम्हार, ठाकुर, ब्राम्हण, हरिजन आदि जाति हैं।

कुल 68 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं ग्राम पंचायत जराखर में 1/2 भाग में पेयजल का अभाव है। जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा इसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

58 विकलांग जनों में 11 महिला एवं 47 पुरुष हैं। गांव के साक्षरता का प्रतिशत 60 प्रतिशत महिलाएं और 82 प्रतिशत पुरुष साक्षर है जिनमें 63 परिवार महिला मुखिया वाले हैं।

आजीविका के साधन



आजीविका के साधन	व्यक्ति की संख्या
सरकारी नौकरी	21
छोटे उद्योग-धन्धे	11
कृषि आधारित	63
कला एवं शिल्पकार	10
पशुपालन	213
लोकल दुकान	13
गैर कृषि मजदूरी	300
अन्य	—



आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम -

आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदाएं इस ग्राम पंचायत को कब से प्रभावित कर रही हैं। इस क्रम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा जानने का प्रयास किया गया, जिसमें समुदाय ने बताया कि सूखा जैसी आपदाएं हैं, जो लगातार प्रभावित कर रही हैं। हाल के वर्षों में लू एवं शीतलहर का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ विगत दो वर्षों से कोरोना नामक बीमारी भी आपदा ही हो गयी है, जिसमें लोग अपने घरों में बन्द हो गये थे। इसका सबसे अधिक प्रभाव खेती में तैयार उत्पाद के लिए बाजार न मिलने के रूप में था। इसके साथ ही शहर देहात सभी बन्द हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। प्राप्त सूचनाएं निम्नवत् हैं -

क्र. सं.	वर्ष	घटना क्रम/ आपदा	घटनाओं के कारण	मृतको की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1.	1967	सूखा	बारिश नहीं हुई थी	0	पूरा गांव	पलायन की स्थिति बढी और बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुयी एवं ऋण लेने की स्थिति बन गयी।	-
2.	1979	सूखा	बारिश नहीं हुई थी	0	पूरा गांव	पलायन की स्थिति बढी और बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुयी एवं ऋण लेने की स्थिति बन गयी।	तालाब गहरीकरण
3.	1980	बाढ़	क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण गांव के सभी तालाब बांधियां टूट गयी जिससे गांव में पानी भर गया और लोगों के काफी मकान ढह गये जिससे भारी छती हुई	02	पूरा गांव	मकान गिरने के कारण उनका नया निर्माण करना पडा जिससे किसानों को कर्ज लेना पडा।	सरकारी द्वारा कच्चा रोड डलाया गया।
4.	1996	बाढ़	इस क्षेत्र में इस वर्ष भी भारी वर्षा हुई जिससे फसल की बहुत छती हुई और पूरा समुदाय इससे प्रभावित हुआ।	-	पूरा गांव	-	रोड पर पुनः मरम्मत करायी गयी और लोगों को रोजगार दिया गया।

5.	2008	सूखा	बारिश कम हुई	0	पूरा गांव	—	पानी संचयन के लिए चेकडैम खेतों में मेड़बन्दी
6.	2020	आंशिक सूखा	बारिश का कम होना तालाबों में सीपेज अधिक होना	0	पूरा गांव	—	कुओं का निर्माण पेयजल हेतु हैण्डपम्प रिबोर एवं समरसेबिल लगाना एवं साथ में पानी संग्रहण हेतु टंकी बनाना।
7.	2022	सूखा	जुलाई माह में सूखा रहा जिससे बुवाई का कार्य प्रभावित रहा। इसके उपरान्त वर्षा हुई फसल की बुवाई हुयी लेकिन पुनः अक्टूबर के माह में अतिवृष्टि हो गयी जिससे खरीफ की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गयी एवं रबी की फसल की बुवाई में देरी हुयी जिससे रबी की फसल भी अच्छी नहीं है।	0	पूरा गांव	—	—

संलग्नक-5

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

क्र० सं०	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है ?
				अधिक	मध्यम	कम	
1.	कृषि	998	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> सूखा पड़ने से खेत की फसल सूख जाती है। उत्पादन में कमी आती है। सिंचाई का खर्च बढ़ जाता है। फसल की बढ़वार रुक जाती है।
			शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> फसलें झुलस जाती हैं। अरहर में पाले की समस्या होती है।

						<ul style="list-style-type: none"> ● सरसों में माहू का प्रकोप बढ़ जाता है। ● फसलों की बढ़वार प्रभावित होती है। ● मसूर की फसल पर पाले का प्रभाव पड़ता है।
2.	मजदूरी	189	सूखा			<ul style="list-style-type: none"> ● कृषिगत मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है। ● खानपान पर प्रभाव पड़ता है। ● आजीविका प्रभावित होती है। ● आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। ● पलायन करना पड़ता है।
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● काम नहीं मिलता है। ● स्वास्थ्य खराब रहता है। ● खर्च बढ़ जाता है।
3.	पशुपालन (गाय, भैंस, बकरीपालन, मुर्गीपालन आदि)		सूखा			<ul style="list-style-type: none"> ● चारे का अभाव हो जाता है। ● पशुओं के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। ● पशुओं को नहलाने के लिए पानी की कमी हो जाती है। ● अधिक गर्मी पड़ने के कारण बीमारी ज्यादा होती है। ● मुर्गी के चूजे मर जाते हैं एवं बीमारी अधिक होती है।
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● पशुओं में बीमारी अधिक होती है। ● पशुओं के लिए चारे की समस्या हो जाती है। ● पशुओं के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। ● बकरियों में पोकना रोग हो जाता है जिससे बकरी कमजोर हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। ● सर्दी के कारण मुर्गी के बच्चे मर जाते हैं।
4.	स्वयं का व्यवसाय		सूखा			<ul style="list-style-type: none"> ● खुला हुआ माल खराब हो जाता है।

	(छोटी दुकान आदि)						<ul style="list-style-type: none"> • सामान लाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ जाता है।
			शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> • व्यवसाय मंद पड़ जाता है।

रिपोर्ट टीम का नाम –

1. डॉ० अरविन्द खरे
2. रूद्र प्रताप मिश्रा
3. जगन्नाथ प्रसाद यादव
4. शोभित कुमार
5. धर्मेन्द्र कुशवाहा

संस्था का नाम – ग्रामोन्नति संस्थान महोबा

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁹³ = ₹70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)⁹⁴ = ₹1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/ हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत⁹⁵ = ₹40,000/हेक्टेयर⁹⁶</p>	

93 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

94 लागत बाजार भाव के अनुसार

95 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

96 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	मेड़बंदी का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं। 	1 मी. मेड़बंदी के लिए ⁹⁷ = ₹150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ⁹⁸ = ₹90,000	

97 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

98 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
5	प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000 कुल लागत⁹⁹: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e->2.471 * 1,00,000 = ₹2,47,100</p>	

99 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p>चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत¹⁰⁰ = ₹35,000</p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = ₹35,000</p>	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p>चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p>चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p>चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत¹⁰¹: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹7 लाख</p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 मीटर³ क्षमता) का निर्माण = : ₹7 लाख</p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹1,200 प्रति यूनिट</p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹3, 75,000</p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹50,000</p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹20 प्रति यूनिट</p>	

100 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

101 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

सतत और उन्नत गतिशीलता

1	सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्षा	1 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक	
2	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 से 10 लाख	

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	चरण 1: a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को सम्मिलित करना b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था c. कूड़ादानों की स्थापना d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्कैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना	कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें; बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58% गैर-बायोडिग्रेडेबल/ अकार्बनिक अपशिष्ट - 42% आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या ¹⁰² = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा) कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)	
---	--------------------------------------	--	---	--

102 कीमत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		चरण 2: a. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना b. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था c. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव d. साझेदारी को बढ़ाना	अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।	
		चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹⁰³ : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ¹⁰⁴ = ₹15,000 3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट ¹⁰⁵ = ₹50,000 प्रति यूनिट	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है ¹⁰⁶ = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष _ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	

103 लागत बाजार भाव के अनुसार

104 एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

105 लागत बाजार भाव के अनुसार

106 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=ln%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		चरण 2 और 3: a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹⁰⁷ : 1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ ¹⁰⁸ : ₹35,00,000	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

107 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

108 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4.	स्वच्छता अवसंरचना को बढ़ाना	चरण I: घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना चरण II और III: शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	1 ट्विन पिट शौचालय की लागत ¹⁰⁹ = ₹15,000 से ₹20,000	

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

1	सोलर रूफटॉप	चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि) अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता	प्रति परिवार औसत स्थापना क्षमता = 3 kWh परिवार स्तर पर स्थापन कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 kWh वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (kWh में) = स्थापित क्षमता (kW) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें) स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से कुल स्थापित क्षमता = पंचायत भवन + स्कूल 1 + स्कूल 2.... + कोई अन्य पीआरआई भवन kWh लागत = ₹50,000 ¹¹⁰ प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365	उत्पन्न वार्षिक बिजली (kWh)* 0.82/ 1000 = ___ tCO
---	-------------	--	---	---

109 https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/SBM_Guideline.pdf

110 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण 2 और 3: परिवार अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 kWp</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 kWp</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (kWh)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (kWp) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>kWp लागत = ₹50,000¹¹¹</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
2 ¹¹²	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50%</p> <p>उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 kWp स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 kWp पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (kWp में)= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति kWh लागत = ₹1 लाख¹¹³</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

111 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

112 https://solarrooftop.gov.in/rooftop_calculator

113 स्थापना की लागत बाजार दर के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
3	सौर पंप	<p>चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 kWh</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पादन = कुल स्थापित क्षमता (kWh) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365</p> <p>प्रति पंप लागत = ₹3 से 5 लाख¹¹⁴</p>	<p>डीजल की खपत को कम करना = 390 लीटर/ प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO₂e)</p>
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000</p> <p>2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000</p> <p>1 उन्नत चूल्हे की लागत = ₹3,000¹¹⁵</p>	

114 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

115 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
5	ऊर्जा दक्षता	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹1,110¹¹⁶</p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	<p>1 सौर हाई-मास्ट की लागत = ₹50,000</p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹10,000¹¹⁷</p>	

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	<p>क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियाँ और फलों और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागो:</p> <p>₹8-15 लाख प्रवित यविनट लागत: 8-15 लाख प्रति यूनिट¹¹⁸</p>	
---	---	--------------------------	--	--

116 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

117 बाजार दर के अनुसार लागत

118 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुँच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल सम्मिलित हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंटेसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।



